"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 अगस्त 2010—श्रावण 15, शक 1932

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2010

क्रमांक ई-1-21/2003/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29-12-2009 द्वारा निम्नलिखित भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2000 आबंटन वर्ष के अधिकारियों को कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (पे बैंड-3, रु. 15600-39100, ग्रेड पे रु. 7600) में भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 3 (1) के परन्तुक के अंतर्गत आज्ञापक मध्यावधि वृत्ति प्रशिक्षण (Mid-Career Training)-

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

(Phase-III) की समाप्ति तिथि अर्थात् दिनांक 7-8-2009 से पदोन्नति प्रदान की गई थी :—

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री एम. एस. परस्ते (सीजी: 2000)	कलेक्टर, बस्तर	कलेक्टर, बस्तर
2.	श्री एस. के. जायसवाल (सीजी: 2000)	कलेक्टर, जशपुर	कलेक्टर, जशपुर
3.	श्री अशोक कुमार अग्रवाल (सीजी: 2000)	कलेक्टर, रायगढ़	कलेक्टर, रायगढ़
4.	श्री एन. एस. मण्डावी (सीजी: 2000)	प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड.	प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड.
5.	श्री डी. डी. सिंह (सीजी: 2000)	सचिव, छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर	सचिव, छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर
6.	श्री एस. पी. शोरी (सीजी: 2000)	संयुक्त सचिव, गृह विभाग एवं संचालक, सम्पदा.	संयुक्त सचिव, गृह विभाग एवं संचालक, सम्पदा.
7.	श्री टी. सी. महावर (सीजी: 2000)	सचिव, लोक आयोग, रायपुर	सचिव, लोक आयोग, रायपुर
8.	श्री एल. एस. केन (सीजी: 2000)	कलेक्टर, नारायणपुर	कलेक्टर, नारायणपुर
9.	श्री रामसिंह ठाकुर (सीजी: 2000)	कलेक्टर, दुर्ग	कलेक्टर, दुर्ग

2. भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्र. 11030/36/2008-AIS-II, दिनांक 21-05-2010 में निहित मार्गदर्शन अनुसार कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान देय तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से दिया जा सकता है. अतः एतद्द्वारा उक्त आदेश के अनुक्रम में कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान का लाभ दिनांक 7-8-2009 के स्थान पर दिनांक 1-1-2009 से देय होगा.

3. श्री एन. एस. मण्डावी, भा.प्र.से., श्री डी. डी. सिंह, भा.प्र.से. एवं श्री टी.सी. महावर, भा.प्र.से. द्वारा निम्नांकित पदों पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत क्रमशः प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, सचिव, छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग एवं सचिव, लोक आयोग के असवंर्गीय पदों को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2010

क्रमांक ई-01-01/2010/एक/2.—श्री देवी दयाल सिंह, भा.प्र.से. (2000), सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही श्री सिंह को संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

2. श्री एस. एल. रात्रे, भा.प्र.से. (2000), संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा एवं सहकारिता विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. श्री एस. एल. रात्रे, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरजियस मिंज, अपर मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 जुलाई 2010

क्रमांक ई 7-10/2007/1/2.—श्री रामसिंह ठाकुर, भा.प्र.से., तत्का. सचिव, राजस्व मण्डल, बिलासपुर को दिनांक 11-03-2010 से 31-05-2010 तक (82 दिवस) का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश काल में श्री ठाकुर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ठाकुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 जुलाई 2010

क्रमांक-बी-1-2/2010/एक/4.—इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 31-6-2010 जो श्री उमेश कुमार अग्रवाल, (रा.प्र.से., आर.आर. 90, वरिष्ठ प्रवर श्रेणी), की पदस्थापना संबंधी है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

2. श्री उमेश कुमार अग्रवाल, (रा.प्र.से., आर.आर. 90, वरिष्ठ प्रवर श्रेणी), प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम, रायपुर एवं संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सेवायें खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से वापस लेते हुए, उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ रायपुर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

3. उपर्युक्त पदस्थापना/स्थानान्तर हेतु समन्वय में अनुमोदन प्राप्त किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एल. सांकला, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2010

क्रमांक एफ 4-01/2010/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश्वर लाल झंवर, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दि. 28 जून से 02 जुलाई 2010 तक (05 दिन) के पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति एवं दिनांक 26 एवं 27 जून, 2010 तथा दिनांक 03 एवं 04 जुलाई 2010 के सार्वजनिक अवकाश लाभ की अनुमति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. सोनी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 जनवरी. 2010

क्रमांक एफ 9-2/2010/1-8.—श्री अमन कुमार सिंह, (पूर्व भारतीय राजस्व सेवा) को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी के पद के विरुद्ध सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर तीन वर्ष अथवा आगामी आदेश तक संविदा नियुक्ति दी जाती है तथा इन्हें सचिव, मुख्यमंत्री और ऊर्जा विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

2. श्री अमन कुमार सिंह की संविदा नियुक्ति की शर्तें बाद में प्रसारित की जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2010

संशोधित आदेश

क्रमांक एफ 01-31/स्था/31/2009.—इस विभाग के जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 13-07-2010 में पैरा-02 के पश्चात् निम्नानुसार पैरा-03 जोड़ा जाता है, अर्थात् :—

3. "न्यूनतम सेवा अवधि में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जावेगी."

शेष जारी आदेश यथावत् रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमर अली, अवर सचिव.

नगरीय प्रशसन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 जून 2010

क्रमांक 2895/2376/2010/18.—सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 2-7/2010/1-8, दिनांक 14 मई 2010 के द्वारा श्रीमती रेजीना टोप्पो, उप सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को ग्रामोद्योग विभाग में स्थानांतरित किये जाने के फलस्वरूप श्रीमती टोप्पो को दिनांक 17-06-2010 अपरान्ह से कार्य मुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. ठाकुर, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जुलाई 2010

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल कोरबा के बॉयलरों को नीचे दर्शाये अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा

6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

क्रमांक	बॉयलर क्रमांक	छूट की अवधि
1.	एम.पी./3555	दिनांक 06-07-2010 से 15-10-2010 तक
2.	एम.पी./3196	दिनांक 02-06-2010 से 30-09-2010 तक
3.	एम.पी./3210	दिनांक 01-07-2010 से 30-09-2010 तक

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पि. रमेष कुमार, सचिव.

SOCIAL WELFARE DEPARTMENT
Mantralaya, Dau Kalyan Singh Bhavan, Raipur

REVISED NOTIFICATION

Raipur, the 13th July 2010

No. 706/2010-11.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 (No. 56 of 2000) the State Government hereby reconstitutes the Juvenile Justice Board with the First Class Judicial Magistrate as Chairman and two Social Workers duly selected by the State Selection Committee as members. The following chairmen/members in column 4 are appointed and notified for the area shown in column No. 2 to 3 of the said Schedule.

S. No.	Name of the District	Area	Name of the Chairman and Member of the Board
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Janjgir-Champa	Janjgir-Champa	Shri A. Z. Qureshi, First Class Judicial Magistrate Janjgir-Chamapa.
2.	Mahasamund	Mahasamund	Smt. Geeta Neware, First Class Judicial Magistrate Mahasamund.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. D. P. RAO, Secretary.

जनसम्पर्क विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 जुलाई 2010

क्रमांक एफ 01-05/2010/विज्ञा. नीति/चौबीस.—राज्य शासन द्वारा विज्ञापन संबंधी पूर्व में जारी किये गये आदेशों, निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए विज्ञापन नीति में नवीन प्रावधानों को समाहित कर समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब साइट्स, वेब पोर्टल्स आदि के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते हैं :—

विज्ञापन संबंधी नियम : 2010

कंडिका-01 – जनसंपर्क संचालनालय राज्य के समस्त शासकीय विभागों के लिये एकमात्र विज्ञापन एजेन्सी के रूप में कार्य करता है। संचालनालय द्वारा सभी विभागों की ओर से आवश्यकतानुसार नियतकालिक प्रकाशनों में वर्गीकृत विज्ञापन जारी किये जाते हैं। राज्य शासन की ओर से प्रदर्शन विज्ञापन जारी करने के लिये भी संचालनालय ही अधिकृत है। निगम/निकायों के विज्ञापन भी संचालनालय की सहयोगी संस्था छत्तीसगढ संवाद के माध्यम से ही जारी करने के शासन के निर्देश हैं।

शासन द्वारा जारी किये गये किसी भी सामान्य या विशेष निर्देश के अध्यधीन प्रकरणों को छोड़कर कोई भी शासकीय विज्ञापन अनुमोदित सूची से भिन्न किसी समाचार –पत्र में और जनसंपर्क संचालनालय व छत्तीसगढ संवाद से भिन्न किसी माध्यम से या सीधे नहीं दिया जायेगा।

विज्ञापन हेतु समाचार पत्रों की अनुमोदित सूची

कंडिका–02 – शासकीय विज्ञापनों का उद्देश्य पत्र–पत्रिकाओं को आर्थिक सहायता पहुंचाना नहीं है। विज्ञापनों का मुख्य उद्देश्य समाचार एवं सामयिक सामग्री प्रकाशित करने वाले समाचार–पत्रों, पत्रिकाओं, जनसंचार के अन्य माध्यमों और प्रकाशनों के माध्यम से लक्ष्य समूह में अधिकतम प्रचार सुनिश्चित करना है। विज्ञापन उपलब्धता, आवश्यकता और आवंटित बजट के अनुसार जारी किये जायेंगे।

विज्ञापन जारी करने के लिये राज्य से प्रकाशित होने वाले दैनिक एवं साप्ताहिक समाचार–पत्रों की एक अनुमोदित सूची तैयार की जाएगी। इस सूची में चयन के लिये समाचार–पत्रों को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। सूची में समाचार–पत्रों के चयन के लिए आयुक्त/संचालक,

जनसंपर्क द्वारा तीन अधिकारियों की एक समिति का गठन किया जायेगा।

कंडिका–03 – विज्ञापन सूची में शामिल होने के लिये दैनिक और साप्ताहिक समाचार पत्रों की न्यूनतम प्रसार संख्या दो हजार होना आवश्यक होगा।

कंडिका–04 – विज्ञापन सूची में शामिल होने के लिये समाचार पत्रों का एक वर्ष का नियमित प्रकाशन आवश्यक होगा।

कंडिका–05 – समाचार पत्र को प्रेस एवं रजिट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट के प्रावधानों का पालन करना होगा। समाचार पत्रों को भारत के समाचार पत्र के पंजीयक के यहां पंजीकृत होना चाहिए।

सूची में शामिल होने के लिए आवेदन

कंडिका–06 – सूची में शामिल होने के लिए समाचार–पत्रों द्वारा नियमित प्रकाशन का एक वर्ष पूर्ण होने के बाद निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा। आवेदन करने वाले पत्र के लिए न्यूनतम अवधि के सभी अंकों का प्रकाशन अनिवार्य होगा। संबंधित समिति की बैठक 6 माह में एक बार होगी ।

समिति द्वारा विज्ञापन की अनुमोदित सूची में समाचार पत्रों को शामिल करने के पूर्व उसके स्वर, स्तर, रीति, नीति तथा नियमितता का भी परीक्षण किया जाएगा ।

कंडिका–07 – विज्ञापन सूची में शामिल होने के लिए समाचार पत्रों का न्यूनतम आकार निम्नानुसार होगा :–

क्रमांक	नियतकालिता	न्यूनतम आकार
(1)	(2)	(3)
1	दैनिक–पत्र	1520 स्टे. का से.मी./7600 वर्ग से.मी.
2	साप्ताहिक पत्र	960 स्टे. का. से.मी./4800 वर्ग से.मी.

कंडिका–08 – 6 हजार तक प्रसार संख्या के लिए चार्टर्ड एकाउंटेन्ट का प्रमाण–पत्र आवश्यक होगा। 6 हजार से अधिक प्रसार संख्या के लिये डी.ए.वी.पी. द्वारा मान्य प्रसार संख्या संबंधी प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रार, न्यूज पेपर ऑफ इंडिया का प्रसार संख्या का प्रमाण–पत्र अथवा ए.बी.सी. का प्रमाण–पत्र आवश्यक होगा ।

नियमितता

कंडिका–09 – निम्नानुसार पत्रों को अनियमित माना जाकर उन्हें सूची से पृथक कर दिया जाएगा :–

1. दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन लगातार 7 दिवस बन्द होने पर ।
2. साप्ताहिक समाचार–पत्र का प्रकाशन लगातार 3 सप्ताह तक बन्द होने पर ।

यांत्रिकी गड़बड़ी, औद्योगिक विवाद अथवा दैवीय विपत्ति के फलस्वरूप किसी समाचार–पत्र का प्रकाशन बन्द होन पर उस अनियमित नहीं माना जावेगा।

नियमित प्रकाशन के लिये दैनिक–पत्र के पिछले 12 माहों के दौरान हर माह कम से कम 25 दिन समाचार–पत्र का प्रकाशन आवश्यक होगा। इसी तरह साप्ताहिक पत्रों के मामले में 36 अंक और मासिक के 10 अंकों का प्रकाशन होना नियमितीकरण का आधार माना जावेगा ।

स्तर

कंडिका–10 – राज्य शासन की विज्ञापन सूची में समाचार–पत्रों को शामिल करने के लिए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जायेगा :–

1. समाचार–पत्रों के प्रत्येक अंक में सम्पादकीय का प्रकाशन आवश्यक रूप से होना चाहिये ।
2. समाचार–पत्रों में समाचार, लेख एवं अन्य सामयिक सामग्री तथा विज्ञापन का स्टैन्डर्ड मान्य अनुपात होना चाहिये। सामान्यतया यह अनुपात 60–40 का होगा।
3. एक परिवार द्वारा एक भाषा में एक स्थान पर एक से अधिक नियतकालिक भिन्न नाम से प्रकाशित होने पर सामान्यतया केवल एक प्रकाशन को राज्य शासन द्वारा दिये जाने वाले नियमित विज्ञापन की पात्रता होगी। एक परिवार के एक से अधिक पत्रों संबंधी प्रकरणों में जानकारी/शिकायत मिलने पर आयुक्त जनसंपर्क द्वारा आवश्यक जांच कराकर गुणावगुण के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा, जिसमें विज्ञापन सूची में शामिल न करने अथवा शामिल होने पर सूची से हटाने की कार्यवाही भी शामिल है।
4. एक बार कम्पोज्ड मैटर का यथावत् भिन्न नाम से समाचार–पत्रों के मुद्रण/प्रकाशन में उपयोग, आल्टर की श्रेणी में माना जाएगा, तथा ऐसे समाचार–पत्रों को अनुमोदित सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।

5. सूची में शामिल किसी समाचार–पत्र द्वारा आल्टर की शिकायत प्रमाणित होने पर उस पत्र को सूची से निकाल दिया जाएगा। ऐसी जानकारी या शिकायत के प्राप्त होने पर 7 दिवस में कार्रवाई की जाना होगी । आल्टर के कारण सूची से निकाले जाने पर संबंधित पत्र के आल्टर किए गए अंकों के लंबित देयक भी रद्द माने जावेंगे।

6. आल्ट्रेशन संबंधी प्रकरणों पर निर्णय लेने के लिए आयुक्त/संचालक जनसंपर्क द्वारा तीन अधिकारियों की एक समिति गठित की जाएगी। ऐसे प्रकरणों में अपील पर निर्णय लेने का अधिकार आयुक्त/सचिव जनसम्पर्क को होगा।

7. आल्टर समाचार–पत्रों से संबंधित प्रेस में मुद्रित होने वाले अनुमोदित सूची के अन्य पत्रों पर भी यही कार्रवाई प्रस्तावित की जायेगी। इस संबंध में समाचार–पत्रों का पक्ष सुनने के बाद अंतिम निर्णय आयुक्त/संचालक द्वारा लिया जायेग। इस तरह के प्रकरणों में समान प्रेस में मुद्रण भविष्य में अनुमोदित सूची में रहने के लिये मान्य नहीं होगा।

<u>कंडिका–11</u> – अनैतिक एवं समाज विरोधी अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा दंडित लोगों द्वारा प्रकाशित/मुद्रित एवं सम्पादित समाचार–पत्रों को विज्ञापन सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार जिनके विरूद्व न्यायालय में इस प्रकार के प्रकरण विचाराधीन होंगे, उन्हें भी सूची में शामिल नहीं किया जायेगा। सूची में शामिल हो चुके ऐसे किसी पत्र के संबंध में शिकायत/जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित व्यक्ति के संबंध में शपथ–पत्र प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जावेगी। निर्धारित अवधि में शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर संबंधित पत्र को आयुक्त/संचालक जनसंपर्क द्वारा सूची से पृथक कर दिया जाएगा।

<u>कंडिका–12</u> – साम्प्रदायिक अथवा सामाजिक विद्वेष फैलाने वाले समाचार–पत्रों को विज्ञापन सूची में नहीं रखा जाएगा. सूची में शामिल किसी पत्र के संबंध में इस प्रकार की शिकायत प्रमाणित होने पर आयुक्त/संचालक जनसंपर्क द्वारा संबंधित पत्र को सूची से बाहर/निलंबित किया जा सकेगा। भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा भी किसी समाचार–पत्र के विरूद्व उपरोक्त आधार पर निर्णय दिया जाता है तो संबंधित पत्र को विज्ञापन सूची से निकाल दिया जाएगा।

<u>कंडिका–13</u> – सूची में शामिल समाचार–पत्र को समाचार–पत्र के आकार, पृष्ठ संख्या या घोषणा–पत्र में कोई परिवर्तन किए जाने पर 7 दिन के भीतर आयुक्त/संचालक जनसंपर्क को सूचित करना होगा। अन्य स्त्रोतों से जानकारी/शिकायत प्राप्त होने

पर समाचार–पत्र को अनुमोदित सूची से बाहर किया जा सकेगा।

अनुमोदन कोई अधिकार नहीं देता

कंडिका–14 – इस नीति में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी यदि किसी समाचार–पत्र को शासकीय विज्ञापनों के लिये अनुमोदित किया जाता है, तो मात्र यही तथ्य शासकीय विज्ञापन प्राप्त करने के लिये उक्त समाचार–पत्र को कोई अधिकार प्रदत्त नहीं कर देगा।

उपरोक्त के अलावा शासन द्वारा जारी समाचारों, वस्तुस्थिति प्रतिवाद आदि को स्थान न देने या विरूपित और पक्षपातपूर्ण तरीके से प्रकाशित करने की स्थिति में विज्ञापन सहयोग निलंबित या कम किया ज़ा सकेगा।

अनुमोदित समाचार–पत्रों की सूची से नाम हटाना

कंडिका–15 – यदि किसी भी समय यह प्रमाणित हो जाए कि किसी समाचार पत्र द्वारा शासकीय विज्ञापन दिये जाने के लिये आवेदन करते समय दी गई सूचना मिथ्या थी, अथवा ऐसे आवेदन के पश्चात् इसमें लगातार सच्चाई नहीं रहती है, या किसी समाचार–पत्र ने नियमों में विनिर्दिष्ट किन्हीं भी शर्तों का उल्लंघन किया है तो संचालनालय अनुमोदित समाचार–पत्रों की सूची से ऐसे समाचार–पत्रों के नाम ऐसी कालावधि के लिये, जिसे वह उचित समझे, हटा सकेगा।

कंडिका–16 – किसी भी समाचार–पत्र को किसी भी कारण से एक बार विज्ञापन की अनुमोदित सूची से हटाये जाने पर उसे फिर से सूची में लेने के लिए एक वर्ष तक विचार नहीं किया जाएगा। एक वर्ष बाद आवेदन करने पर गुणदोष के आधार पर संचालनालय द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा ।

विज्ञापनों की दरें

कंडिका–17 – विज्ञापनों की दरें वे होंगी जो शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित या स्वीकृत की जायेंगी। राज्य शासन द्वारा सभी समाचार–पत्रों को भारत सरकार के संस्थान डी.ए.वी.पी. द्वारा स्वीकृत विज्ञापन दरों पर भुगतान की स्वीकृति दी जाएगी। जिन समाचार–पत्रों का डी.ए.वी.पी. दर नहीं होगा, उनके लिए विज्ञापन की **'राज्य दर'** निर्धारित की जाएगी। विज्ञापन की राज्य दर 8 कॉलम 50 से. मी. 8 पृष्ठ के दैनिक तथा 5 कॉलम 37 से.मी. 12 पृष्ठ के साप्ताहिक पत्रों तथा इससे अधिक आकार के समाचार पत्रों के लिये निम्नानुसार निर्धारित की जायेगी :–

प्रसार संख्या	5001 से 10000	—	10 रूपए	प्रति कॉलम से. मी.
प्रसार संख्या	10001 से 15000	—	15 रुपए	प्रति कॉलम से. मी.
प्रसार संख्या	15001 से 20000	—	25 रूपए	प्रति कॉलम से. मी.
प्रसार संख्या	20001 से 25000	—	30 रूपए	प्रति कॉलम से. मी.
प्रसार संख्या	25001 से 30000	—	35 रूपए	प्रति कॉलम से. मी.
प्रसार संख्या	30001 से 50000	—	40 रूपए	प्रति कॉलम से. मी.
प्रसार संख्या	50001 से 75000	—	45 रूपए	प्रति कॉलम से. मी.
प्रसार संख्या	75001 से अधिक	—	50 रूपए	प्रति कॉलम से. मी.

नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी संचालनालय की अपनी अधिकार सीमा में न्यूनतम दर 10 रूपए एवं अधिकतम दर 50 रूपए प्रति कॉलम से. मी. रहेगी।

किन्हीं भी नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी संचालनालय को अपने अधिकार सीमा में और शासन को किसी समाचार–पत्र, पत्रिका, नियतकालिक या अन्य किसी प्रकाशन को, जो चाहे राज्य के भीतर या राज्य के बाहर प्रकाशित होते हों, उन दरों पर जो उचित समझी जाये, कोई वर्गीकृत या सजावटी विज्ञापन देने की पूर्ण शक्तियां होंगी।

प्रदर्शन विज्ञापन वितरण

कंडिका–18 — सरकारी विज्ञापनों का प्रयोजन पत्र–पत्रिकाओं को सहायता देना नहीं है. फिर भी प्रसार संख्या, निरन्तर प्रकाशन की अवधि, कवरेज क्षेत्र और लक्ष्य समूह के दृष्टिगत विभिन्न श्रेणी के प्रकाशनों में संतुलन के उद्देश्य से **प्रदर्शन विज्ञापनों** के बजट वितरण के लिये समान्यतया निम्न मानदंडों का पालन किया जायेगा :—

श्रेणी	सीमा राशि
लघु	15 प्रतिशत से कम नहीं
मझोले	35 प्रतिशत से कम नहीं
बड़े	50 प्रतिशत से अधिक नहीं

इन मानदंडों से विचलन के मामले पूर्ण औचित्य के साथ राज्य शासन की जानकारी में लाये जायेंगे। **समाचार–पत्र–पत्रिकाओं को प्रवेशांक के लिये प्रदर्शन विज्ञापन नहीं दिया जायेगा।**

कंडिका–19 – उपरोक्त मानदंड केवल प्रदर्शन विज्ञापनों के लिये आवंटित बजट के लिये है। वर्गीकृत विज्ञापनों के बजट पर यह लागू नहीं होंगे।

कंडिका–20 – विज्ञापन देने के प्रयोजन के लिये राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित मानकों के अनुसार प्रदेश और प्रदेश से बाहर के पत्रों को राष्ट्रीय, राज्य, संभाग और जिला स्तरीय और बड़े, मंझोले और लघु समाचार–पत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकेगा. ।

समाचार–पत्रों की श्रेणियां

कंडिका–21

1. लघु समाचार–पत्र – जिनकी अधिकतम दैनिक प्रसार संख्या 25 हजार तक हो ।
2. मझोले समाचार–पत्र – जिनकी दैनिक प्रसार संख्या 25,001 से लेकर 75 हजार तक हो ।
3. बड़े समाचार–पत्र – जिनकी प्रसार संख्या 75 हजार से अधिक हो ।

वार्षिक पुनरीक्षण

कंडिका–22 – राज्य शासन के विज्ञापन के लिये अनुमोदित सूची का प्रतिवर्ष पुनरीक्षण किया जाएगा। पुनरीक्षित सूची प्रतिवर्ष एक अप्रैल से लागू होगी। पुनरीक्षण के लिए प्रपत्र निर्धारित किया गया है। सामान्यतः समाचार–पत्रों से प्रपत्र में प्रति वर्ष 15 फरवरी से 15 मार्च तक जानकारी प्राप्त किया जाकर सूची का पुनरीक्षण होगा। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित समाचार–पत्रों से डी.ए.वी.पी. को भेजे जाने वाली जानकारी भी प्रस्तुत करने कहा जाएगा ।

पुनरीक्षण से संबंधित तिथियों में आवश्यक होने पर आयुक्त/संचालक जनसंपर्क द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा। सूची के वार्षिक पुनरीक्षण के लिये आयुक्त/संचालक जनसंपर्क द्वारा जनसंपर्क संचालनालय के तीन अधिकरियों की एक समिति गठित की जाएगी।

कंडिका–23 – जनसंपर्क संचालनालय द्वारा विज्ञापन सूची के वार्षिक पुनरीक्षण के समय सूची में शामिल कम से कम पांच प्रतिशत समाचार–पत्रों द्वारा दी गई जानकारी का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए। यह परीक्षण इस संबंध में गठित होने वाले विशेष प्रकोष्ठ द्वारा किया जायेगा।

कंडिका–24 — जो दैनिक समाचार–पत्र समाचार एजेंसी या पंजीकृत/मान्यता प्राप्त संस्था करने की आधुनिक संचार प्रणाली की सेवा नहीं लेते हैं, उन दैनिक पत्रों को विज्ञापन सूची में पृथक श्रेणी में रखा जाएगा। सूची में शामिल शेष समाचार–पत्रों को पृष्ठ संख्या और आकार के अनुसार श्रेणियों में रखा जाएगा। सूची में आने के बाद ऐसी सेवा न लेने पर वे स्वतः सूची से बाहर हो जायेंगे। वार्षिक पुनरीक्षण के समय इसका नियमितता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस संदर्भ में वही समाचार–एजेंसी मान्य होगी जिसके न्यूनतम बीस सशुल्क ग्राहक हों। इनमें से कम से कम आधे ग्राहक प्रदेश के होने चाहिये ।

कंडिका–25 — राज्य के बाहर के समाचार–पत्रों के ऐसे पत्रों की सूची आयुक्त/संचालक जनसंपर्क की स्वीकृति से तैयार की जायेगी जिन्हें जनसंपर्क संचालनालय द्वारा आवश्यकतानुसार विज्ञापन जारी किए जायेंगे। सामान्यतः राज्य के बाहर के ऐसे समाचार–पत्रों को ही वर्गीकृत विज्ञापन जारी किए जायेंगे जो डी.ए.वी.पी. दर से विज्ञापन प्रकाशित करते हैं ।

राज्य के बाहर के जिन केन्द्रों पर डी.ए.वी.पी. दर से विज्ञापन प्रकाशित करने वाले समाचार पत्र नहीं होगें अथवा किसी पत्र विशेष में विज्ञापन का प्रकाशन आवश्यक होगा, और जिन महत्वपूर्ण पत्रों में राज्य को कवरेज प्राप्त होता है, उनमें **उन पत्रों की दर** पर भी विज्ञापन प्रकाशित कराए जा सकेंगे। **यहां उन पत्रों की दर से आशय व्यावसायिक/वाणिज्यिक दर अथवा रेट कार्ड से है।**

कंडिका–26 — विज्ञापन आदेश जारी होने की तिथि में लागू डी.ए.वी.पी./राज्य दर/अनुबंध दर भुगतान के लिये मान्य होगी। देयक प्रस्तुत करने के बाद यदि भूतलक्षी प्रभाव से दर परिवर्तन होता है तो जिस दिनांक को डी.ए.वी.पी. दरों का अनुबंध–पत्र संचालनालय में प्रस्तुत किया जायेगा उसी दिनांक को प्रस्तुत देयकों के संबंध में ही उक्त दर स्वीकृत की जायेगी। पूर्व के भुगतान की प्रकिया में आ चुके देयकों के पूरक देयक मान्य नहीं किये जायेंगे । यदि कोई समाचार–पत्र किसी विज्ञापनदाता को मान्य/स्वीकृत दर से कम दर पर देयक प्रस्तुत करता है, तो ऐसी निम्न दर ही मान्य की जाएगी।

कंडिका–27 — यदि संचालनालय द्वारा किसी विज्ञापन विशेष को समाचार पत्र के किसी स्थान या

पृष्ठ विशेष पर प्रकाशित करने के लिये कहा जाए तो समाचार–पत्र की उस समय प्रचलित दर संरचना के अनुसार अतिरिक्त प्रभार संदेय होगा ।

विज्ञापनों के आकार का प्राक्कलन

कंडिका–28 – 1. आफसेट प्रिंटिग प्रेस पर मुद्रित समाचार–पत्रों के लिये विज्ञापनों का आकार दस पाइंट के अक्षर को आधार मानकर प्राक्कलित किया जायेगा।

2. अक्षर प्रेस पर मुद्रित समाचार–पत्रों के लिये 12 पाइंट को आधार माना जायेगा ।

विज्ञापन देयकों का भुगतान

कंडिका–29 – संचालनालय द्वारा विज्ञापन देयकों का भुगतान, देयक प्रस्तुत करने पर सामान्यतया 60 दिन की अवधि में किया जायेगा। विज्ञापन आदेश और संचालनालय द्वारा जारी की गई संसूचना के अनुसार विज्ञापन के प्रकाशन के सम्यक सत्यापन के पश्चात् देयकों का भुगतान किया जायेगा।

साप्ताहिक समाचार–पत्रों एवं पत्रिकाओं को विज्ञापन

कंडिका–30 – नियमित साप्ताहिक समाचार–पत्रों और पत्रिकाओं विशेषकर लंबी अवधि से नियमित रूप से प्रकाशित हो रहे प्रकाशनों को अन्य पत्रों के समान विज्ञापन श्रेणीवार बजटसीमा के अन्तर्गत दिये जायेंगे।

अनुमोदित सूची के बाहर के 6 हजार से अधिक प्रसार–संख्या का दावा करने वाले पत्र–पत्रिकाओं से जनसंपर्क संचालनालय उनकी प्रसार संख्या का प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेज निर्धारित प्रपत्र पर प्राप्त करेगा।

विज्ञापन सामान्यतया अनुमोदित सूची के पत्रों को ही दिये जायेंगे, पर सूची से बाहर के पत्र–पत्रिकाओं को आवश्यकता तथा उपयोगिता और बजट उपलब्धता के अनुसार विशेष अवसरों पर प्रदर्शन विज्ञापन दिया जा सकेगा।

न्यूनतम 37 सेन्टीमीटर, पांच कॉलम, आठ पृष्ठ आकार के अनुमोदित सूची के साप्ताहिक समाचार पत्रों को प्रतिमाह चौथे अंक के लिए एक पृष्ठ (165 कॉलम सेन्टीमीटर) का प्रदर्शन विज्ञापन दिया जाएगा। इसके अलावा आठ पृष्ठ (1400 स्टैण्डर्ड कॉलम सेन्टीमीटर) से कम आकार के साप्ताहिक समाचार पत्रों को आधे पृष्ठ का प्रदर्शन/विज्ञापन प्रदान किया जाएगा।

कंडिका–31 – विज्ञान, कृषि, साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण विशेष और महिलाओं–बच्चों से संबंधित प्रकाशनों के लिए उपरोक्त प्रावधान लागू नहीं होगे। इस तरह के प्रकाशनों को वर्तमान में जारी प्रक्रिया के अनुसार संरक्षण दिया जायेगा।

उपरोक्त के अलावा गुण–दोष के आधार पर जिन प्रकरणों में उचित समझा जाए उनमें विज्ञापन स्वीकृति का पूर्ण अधिकार शासन को होगा।

कंडिका–32 – पत्र–पत्रिकाओं के मामले मे उचित मापदण्डों के अनुसार प्रकाशन की पुष्टि की जाना चाहिए। उचित मानदंडों के अन्तर्गत अन्य बातों के अलावा ये भी शामिल हैं :–

क – अन्य पत्र–पत्रिकाओं से समाचार सामग्री अथवा लेखों की पुनरावृत्ति न हो। इसी प्रकार पत्र पत्रिका के अपने ही अन्य अंकों से समाचार सामग्री और लेख इत्यादि न लिए गए हों। मुद्रित सामग्री तथा फोटोग्राफ सुपाठ्य, स्वच्छ व स्पष्ट हों।

ख– पत्र–पत्रिकाओं में ऐसी टीका–टिप्पणी और सामग्री न हो, जो सार्वजनिक शालीनता और नैतिक मानदंडों के प्रतिकूल हो। भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली सामग्री का प्रकाशन न होता हो।

ग– एक ही व्यक्ति या उसके परिवार द्वारा एक ही स्थान से अलग प्रकार और अवधि का प्रकाशन होने पर एक ही प्रकाशन को विज्ञापन के लिए मान्य किया जाएगा।

उपरोक्त के अलावा शासन द्वारा जारी जनोपयोगी सूचनाओं, वस्तुस्थिति, प्रतिवाद आदि को नियमित रूप से स्थान न देने या विरूपित और पक्षपातपूर्ण तरीके से प्रकाशित करने की स्थिति में विज्ञापन सहयोग वापस या कम किया जा सकेगा।

स्मारिकाओं के लिए प्रदर्शन विज्ञापन

कंडिका–33 – समय–समय पर आवश्यकतानुसार स्मारिकाओं के लिये प्रदर्शन विज्ञापन जारी किये जाते हैं। इन विज्ञापनों के लिए स्मारिकाओं की न्यूनतम पृष्ठ संख्या ए–4 साइज के 32 पृष्ठ आकार की होगी। इन स्मारिकाओं में संबंधित सामयिक सामग्री तथा विज्ञापन का आदर्श अनुपात होना चाहिए।

स्मारिकाओं को राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय तथा स्थानीय स्तर के अनुसार अधिकतम 25 हजार का विज्ञापन संचालनालय द्वारा दिया जा सकेगा. इससे अधिक राशि का विज्ञापन शासन की स्वीकृति से दिया जायेगा।

प्रसार संख्या का सत्यापन

कंडिका–34 – जनसंपर्क संचालनालय को अनुमोदित सूची के समाचार–पत्रों या विज्ञापन के लिये आवेदन करने वाले पत्र–पत्रिकाओं की प्रसार संख्या की जांच का अधिकार होगा। इसके लिये संचालनालय में एक विशेष प्रकोष्ठ बनाया जायेगा। इसके अलावा इसके लिये जिला स्तरीय समितियों का गठन निम्नानुसार किया जायेगा :–

1. कलेक्टर द्वारा नामांकित प्रथम श्रेणी के दो अधिकारी जिनमें से एक वाणिज्यिक कर विभाग का होगा।
2. जिला जनसंपर्क कार्यालय के प्रभारी अधिकारी, पदेन सचिव होंगे।
3. श्रम अधिकारी।
4. संभागीय अभियंता विद्युत कंपनी।

मुद्रणालय और मुद्रण क्षमता, कागज, स्याही, और प्रकाशन में लगने वाली अन्य सामग्री के खरीदी के देयक, बिजली के बिल तथा अन्य संबद्ध कारकों के आधार पर प्रसार संख्या का सत्यापन समिति करेगी। यह सत्यापन आवश्यकता और शिकायत के आधार पर कराया जा सकेगा। इस समिति के निष्कर्षों से असहमत होने पर संबधित पत्र राज्य स्तरीय अपील समिति में अपना पक्ष रख सकेंगे। समिति सामान्यतया ए.बी.सी. (ऑडिट ब्यूरो आफ सर्कुलेशन) द्वारा मान्य समाचार पत्रों के प्रसार संख्या की जांच नहीं करेगी, जब तक कि ऐसे प्रकरणों में जांच कराने का कोई तात्कालिक कारण शिकायत ना हो। अपील समिति निम्नानुसार होगी :–

(1)	जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव	अध्यक्ष
(2)	आयुक्त/संचालक	सदस्य
(3)	संचालनालय की विज्ञापन शाखा के प्रभारी अधिकारी	संयोजक

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर विज्ञापन

कंडिका–35 – संचालनालय द्वारा इलेक्ट्रानिक मीडिया–टीवी, चैनल्स, स्थानीय केबल टी.वी. और वेबसाईट्स/न्यूज पोर्टल पर आवश्यकता और बजट उपलब्धता को दृष्टिगत रखकर विज्ञापन दिये जा सकेंगे। विज्ञापन देते समय निम्न मापदंडों को अपनाया जायेगा :–

1. टी.वी. चैनल को अधिमान्य संस्था द्वारा दिया गया टी.आर.सी. प्रमाण–पत्र।

2. राज्य के मामले में प्रदेश के जिलों में चैनल के प्रसार वाले जिलों की संख्या और कवरेज क्षेत्र।

3. चैनल के राज्य में कार्यरत ब्यूरो कार्यालयों/संवाददाताओं की संख्या, प्रसारण संसाधनों का ब्यौरा।

4. टी.वी. चैनल की मान्य डी.ए.वी.पी. दर।

5. स्थानीय केबल के मामले में प्रसार क्षेत्र और ग्राहक परिवारों की संख्या का प्रमाण। इसमें पे-चैनल को चुकाये जाने वाले शुल्क का प्रमाण भी शामिल है।

6 वेबसाइट/पोर्टल के देखे जाने का प्रमाण (हिट्स)।

7 विज्ञापन दिये जाने में पोर्टल वाले वेबसाइट को प्राथमिकता दी जायेगी। एक से अधिक भाषा वाले वेबसाईट्स और पोर्टल को भी महत्व दिया जायेगा।

8 राज्य के समाचारों को अपलोड करने वाली वेबसाइट को भी विज्ञापन देने में प्राथमिकता दी जायेगी। स्थानीय वेबसाइट्स को विज्ञापन की दृष्टि से प्राथमिकता दी जायेगी।

9 वेबसाइट्स के देखने और उपयोग करने के लिये मानिटरिंग की व्यवस्था आवश्यकतानुसार की जायेगी।

10 इलेक्ट्रानिक मीडिया के लिये विज्ञापन की दरें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायेंगी, जो प्राइम टाइम और नॉन प्राइम टाइम को आधार मानकर प्रति दस सेकण्ड के हिसाब से देय होगी।

11 अशासकीय, व्यावसायिक रेडियो और अव्यावसायिक प्रसारणों के लिये भी विज्ञापन, टी.वी. चैनल्स के समान मानदंडों के अनुसार विज्ञापन दिये जा सकेंगे। सामुदायिक रेडियो के मामले में शासन इन नियमों को शिथिल कर सकेगा।

अनियतकालिकों को विज्ञापन

कंडिका-36 — सामान्यतया नियतकालिक पत्र-पत्रिकाओं को प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 के प्रावधानों के तहत प्रकाशन होने पर विज्ञापन दिये जाते हैं। उपरोक्त के अलावा स्तर और महत्व को देखते हुये संचालनालय अनियतकालिक सामुदायिक अखबारों, पत्रिकाओं (कम्युनिटी न्यूजपेपर्स) ग्रामीण नेबरहुड पेपर्स, विशेष लक्ष्य समूह के लिये ब्रोशर्स और अनियतकालिकों के लिये विज्ञापन दे सकेगा। यह विज्ञापन स्मारिका प्रकाशन के लिये दी जाने वाली अधिकतम राशि पच्चीस हजार की सीमा में होंगे। इससे अधिक राशि के विज्ञापन जारी करने के लिये शासन की स्वीकृति आवश्यक होगी।

कंडिका–40 – विज्ञापन प्राप्त करने वाले आवेदकों को प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867, केबल टी.वी. नेटवर्क अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और अन्य संबंधित अधिनियम के उपबंधों का पालन किया जाना होगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर विज्ञापन नहीं दिये जायेंगे।

कंडिका–41 – इस नीति में उल्लेख किये गए नियमों के प्रारंभ के ठीक पूर्व से प्रवृत प्रभावशील अनुदेश इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं। परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों और आदेशों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या कार्रवाई इस नीति के उपबंधों के अधीन की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

Raipur, the 9th July 2010

No F 01-05/10/Adv.policy/24 :: The State government by overwriting the order and instructions issued prior by it regarding advertisement and by including new provisions in the advertisement policy for newspapers, electronic media, web sites, web portals etc. are enforced with immediate effect.

ADVERTISEMENT RULES 2010

Para 1 :- Directorate of Public Relations acts as an only ad agency for all Government. Department of the State. Classified advertisements of all Government Departments are released from the Directorate of Public Relations. It is an only authorized agency of State Government to release advertisement. Advertisement for corporations/semi government bodies are released by its organization. Chhattisgarh Samvad as directed by the government. Any advertisement except those cases which is subject to general or special instruction issued by government can not be given in any news paper which differs from approved list or any institution apart form Directorate of Public Relations and Chhattisgarh Samvad.

Approved list of Newspapers for Advertisements

Para2:- The purpose of Government advertisement is not to give financial support to any newspaper, journal or magazines but is to ensure maximum publicity in its target group by medium of newspapers, magazines and other medium of mass communication or publication. Advertisements will be released according to availability, necessity and allotted budget. To release advertisement an approved list of daily & weekly newspapers published in state, will be prepared. To get enlisted into this list newspapers will have to apply in prescribed format. To select newspapers in the list a committee of three officers will be constituted by the Commissioner /Director, Public Relations.

Para 3 :- To get enlisted in the advertisement list minimum circulation of daily & weekly newspaper will have to at least 2000 copies.

Para 4 :- For selection in the advertisement list regular publication of newspaper for one year is necessary.

Para 5 :- Newspapers will have to follow the provisions of Press & Registration of Books Act. More over it should be registered in the list of RNI.

Application for getting enlisted in the list

Para 6 :- To get included in the list newspapers may apply in prescribed format after completion of one year of its regular publication. For applicant news paper publication of all issues for minimum period is compulsory. Concerned committee will meet once in six months.

Before selecting newspaper for approved list the committee will examine its ideology, voice, standard, policy and regularity.

Para 7 :- To get enlisted in the advertisement list minimum size of news paper should be as following:

s.n	Periodical	Minimum size
1	Daily – paper	1520 Standard. Col cm / 7600 square cm
2	Weekly – paper	960 - Standard Col cm / 4800 cm

Para 8 :-For newspaper having circulation up to six thousand a certificate of chartered accountant and for more then that a certificate of circulation by DAVP, Registrar, Newspaper of India or ABC will be necessary.

Regularity

Para 9 :- In following conditions newspapers will be considered irregular and shall be excluded from the list:

(1) On closure of publication of daily newspaper for continuous 7 days.

(2) In case of weekly newspapers the period would be 3 weeks. Failure of publication due to some mechanical trouble, industrial dispute or natural calamity will not be considered irregular.

For daily newspapers, every month at least 25 days publication during last 12 months is necessary. Similarly in case of weekly newspapers publication of 36 issues and for monthly papers publication of 10 issues is necessary.

Standards

Para10 :- Following points will be considered at the time of selection of newspapers for the advertisements :-

1. Editorial is necessary in every issue of the newspaper.
2. There should be a standard recognized ratio of articles, current material and advertisements. In the newspaper the ratio should generally be 60:40.
3. Where a family publishes more then one periodical in the same language with different names, eligibility of publishing advertisement will be generally given to one newspaper only. On getting any information/ complaint regarding publication of one or more periodical in a family there in that cares the final decision in will be taken by Commissioner/Director Public Relations for inclusion or exclusion of the newspaper in the list after necessary inquiry.
4. Once composed matter is printed or published as it is by different newspaper name then the newspaper will be considered in altered category and shall not be included in the list.
5. In case of a complaint getting proved the newspaper will be expelled from the list and action against the newspapers will to be taken within 7 days Pending bills of those issues will be cancelled.
6. To take decision on alter cases a committee of three officers will be constituted by Commissioner/Director. In such cases Commissioner/Director of Public Relations will have the right to take decision in cases of appeal.
7. Same action will also be taken on other newspapers of approved list, printed in concerned altered newspaper press. After hearing the plea of concerned newspapers final decision will taken by Commissioner/Director. In these cases to remain in the approved list printing in the same press will not be valid.

Para 11 :- Newspaper which is published/printed and edited by the person who are punished for immoral or antisocial crimes by court, shall not be included in the list. Similarly those alleged people against whom any case of this nature is under consideration, shall not be enlisted in the list. In case of finding any complaint/ information regarding those already included in the list, the concerned person

will have to submit an affidavit and on not submitting that in due time, concerned paper will be excluded from the list by Commissioner/Director Public Relations.

Para 12:- Newspapers spreading communal or social hatred shall not be included in the list and if any complaint is proved about the enlisted one, it will be excluded/suspended from the list by the Commissioner/Director of Public Relations. If on above basis Press Council of India gives decision against the newspaper, it will be expelled from the list.

Para 13:- In case of any variation in size, number of pages or declaration letter of the paper, it has to be informed to the Commissioner/Director within 7 days. On getting information/complaint from any other source the newspapers will be expelled from the list.

Approval Doesn't Give Any Right

Para14:- Despite the fact that the policy contains approval for government advertisements, merely doesn't give right to the newspaper to receive advertisement. Apart from the above fact, in case of newspaper not giving place to Government news or publishing that in biased way, advertisement may be curtailed or suspended.

Removing Names From Approved List

Para 15:- If any information given by a newspaper while applying, is found incorrect and is proved or if there is any contravention on the part of newspaper of the conditions specified in the rules then in that condition Directorate may remove such papers from the approved list for a that period of time that may be deemed fit.

Para 16:- If a newspaper is removed once from the list for any reason, no consideration would be made on that for one year. On applying after one year decision will be taken by the Directorate on the basis of merits & demerits.

Rates of advertisement

Para 17:- Rates of advertisement will be as fixed or sanctioned by the government from time to time. Sanction of payments would be given to newspapers as per approved rates of DAVP, an institute of Government. of India. For those news papers not

having DAVP rates, state rates will be fixed for them. State rates for advertisement for 8 column 50 cm 8 pages daily newspaper and 5 column 37 cm 12 pages weekly newspaper or more then this size papers will be decided as following :

Circulation no 5001 to 10000	10 Rs. Per Column cm	
Circulation no10001 to 15000	15 Rs. Per Column cm	
Circulation no 15001 to 20000	25 Rs. Per Column cm	
Circulation no 20001 to 25000	30 Rs. Per Column cm	
Circulation no 25001 to 30000	35 Rs. Per Column cm	
Circulation no 30001 to 50000	40 Rs. Per Column cm	
Circulation no 50001 to 75000	45 Rs. Per Column cm	
Circulation no more then 75001	50 Rs. Per Column cm	

Despite the fact that the rules contains, under the jurisdiction of Directorate minimum 10 Rs. and maximum 20 Rs. per column cm would be the rate.

Directorate, under its jurisdiction and the Government will have full power to give any classified or display advertisement at the rate which may be appropriate to any news paper, magazines, periodical or other publication, published inside or outside the state.

Distribution of Display Advertisement

Para 18 :- Purpose of Government advertisement is not to give help to newspapers and magazines but is to make balance in publications of different categories i.e. circulation number, duration of continuous publication , coverage area and target group. For budget distribution of display advertisement generally following criteria will be adopted:-

Category	**Limit Amount**
Small	Not less then 15%
Medium	Not less then 35%
Large	Not more then 50%

Any deviation from the above criteria will be brought to the notice of the government with full justification. No display advertisement will be given to the newspapers for their inaugural issue.

Para 19:- Above criteria applies only on allotted budget of display advertisement and not on classified advertisement.

Para20:- For purpose of giving advertisement newspapers of the state and outside the state will be classified as national, state, division & district level and large, medium & small newspaper by state government according to notified standard.

Categories Of Newspaper

Para21:- 1. Small newspaper-Whose maximum daily circulation is up to 25 thousand.
2. Medium newspaper-Whose daily circulation is between 25,001 & 75000
3. Large newspapers- Whose circulation is more then 75000.

Annual Revision

Para 22:- For State Government's advertisement the approved list will be revised annually. The revised list will come into force from 1st April every year. A format has been prescribed for revision. Normally revision of the list will be done on the basis of information collected from the papers between 15th Feb. to 15th March in prescribed format. If necessary concerned newspapers will be asked to submit information sent to DAVP.

Dates regarding revision can be changed by Commissioner/Director of Public Relations. A committee of three officers of the Directorate will be constituted by Commissioner/Director for the annual revision of the list.

Para 23:- At the time of annual revision of the advertisement list information of at least 5% newspapers should be physically verified by the Directorate. This verification will be done by the special cell constituted for this purpose.

Para 24:- Daily newspapers which don't take service of news agencies or modern communication system of any registered institution shall be kept in separate category. .Remaining newspapers shall be categorized according to number of pages & its size. After inclusion in the list if they don't acquire any such service, they shall be excluded automatically from the list. At the time of annual revision they will have to submit a certificate of regularity. In this regard only those news

agencies will be recognized who are having minimum 20 paid customers, of whom at least half should be of the state.

Para 25 :- A list of newspapers published out side the state will be prepared on the basis of sanction of Commissioner / Director of Public Relations in which advertisement would be released by the Directorate as per requirement. Generally classified advertisement will be released to the newspaper of outside state, outside the state such centers that don't have newspapers publishing advertisement on DAVP rates or in a particular newspaper publishing an advertisement is necessary and in important newspapers which give coverage to the state, advertisement can also be published in the newspaper's rate. Here rate of the newspaper means commercial rate or as per the rate card.

Para 26:- Payment would be given as per DAVP / state rate / contract rate applicable at the date of issuing the release order. After submitting bill if rates vary by retrospective effect, then on which date the contract letter of DAVP rate is submitted in the Directorate that rate will be sanctioned. Supplement dues would not be given to the bills already under process. If any newspaper submits bill at lower than sanctioned rate the same will be accepted.

Para 27:- If any particular advertisement is to be released by the Directorate in a particular place or page then extra charge would be payable according to rate structure prevalent at that time.

Estimation of sizes of advertisements

para 28:- 1. For the news paper printed on offset printing press, size of advertisement would be estimated on the basis of ten point letter.

2. For newspaper printed on tradle press 12 point will be the base.

Payment of Advertisement

Para 29 :- Payment of advertisement bills will be made by the Directorate generally within 60 days after submitting bills.

As per release order and notification issued by the Directorate, payment would be made after verification of publication of advertisement.

Advertisement to Weekly Newspapers and Magazines

Para 30 :- Regular weekly newspapers and magazines, especially published for a long time would be given advertisement category wise like other papers under budget limit. Those magazines and journals which are not in approved list and whose circulation is claimed to be more then six thousand, will have to submit to the Directorate a certificate of circulation number and other documents in prescribed format.

Those weekly and magazines whose circulation in up to six thousand and which are not in the DAVP list will not be given on an average more than Rs. 5 thousand advertisement per month. But on special occasions and for special supplement of more than this amount advertisement. the Commissioner/Director can use their power to do that. In case of circulation number exceeds 6 thousand the rate of advertisement will be fixed on keeping in view the DAVP rate or according to the standard of the paper magazine and the importances of the occasion by Commissioner/Director or by the State Government. Generally advertisement would be given to the enlisted newspapers but as per necessity, utility and budget availability other magazine and journals may be given display advertisement on special occasions.

Para 31:- The above provisions will not be applicable on literary, social , cultural , environmental & woman and child related publications. Such type of publications would be given protection according to current procedures . Apart from that government will have full power to sanction advertisement on basis of merit in cases which it seems fit.

Para 32 :- In case of magazines and journals confirmation of publication should be made as per criteria. Following criteria are also included in that:

(A) There should not be repetition of news materials and articles from other issues of the same paper or other papers. Printed material and photographs should be legible,clean & clear.

(B) There should not be such remarks which is against public decency or moral criteria and which breaches code of conduct of Press Council of India.

Display Advertisement for Souvenir

Para 33:- Display advertisement for souvenir are released from time to time according to the requirement. For publishing advertisement souvenir should have minimum 32 pages of A-4 size in which current material & advertisement should be in model proportion. Advertisement of maximum Rs. 25000 may be given by the Directorate according to national, state & local level. Advertisement for more then that amount will be given by the sanction of the Government.

Verification of circulation

Para 34 :- Directorate of Public Relations will have the right of inquiring circulation of newspapers or magazines & journals, applying for advertisement. For this purpose a special cell will be constituted in the Directorate. In addition to this district level committees will be constituted as following:-

1. Two class 1 officers nominated by the Collector, of whom one should be from Department of Commercial Tax
2. Incharge officer of District Public Relations Office will be ex-officio secretary.
3. Labour officer
4. Divisional Engineer electric company.

The Committee will verify circulation of the newspaper on the basis of the press & its printing capacity, paper, ink and bills of material used in publication, electricity bills and other concerned factors. Verification can be done due to necessity or on the basis of complaint. In case of any disagreement with the decision of committee, concerned paper may appeal to state level committee. Committee will not generally inquire the circulation no. of newspapers recognized by ABC (Audit Bureau of Circulation) unless and until there is not any immediate reason or complaint. Structure of appeal committee will be as following:

1. Principal Secretary/Secretary Public Relations - President
2. Commissioner/Director Public Relations - Member
3. In charge officer of advertisement section - Convener

Advertisement on electronic media

Para 35:- Keeping in view the requirement and budget availability advertisement may be given on electronic media: TV channels, local cable TV and websites/newsportal. At the time of giving advertisement following criteria will be followed:

1. TRC certificate to TV channels from any recognized institution.
2. In case of State number of districts having coverage of the channel & its coverage area.
3. Number of bureau offices/number of correspondents working in state channel, details of broadcasting resources.
4. Approved DAVP rates of TV channel.
5. In case of local cable a certificate of coverage area & number of customer families along with certification of fee paid to pay channels.
6. Certification of viewing website/portal (hits)
7. Portal website will be given priority in giving advertisement. Due importance will also be given to the websites & portals having more then one language.
8. Priority will also be given to the website uploading state news. In view of advertisement local websites will be given priority.
9. For viewing & utilizing websites, monitoring arrangement will be made as per requirement.
10. Rates of advertisement for electronic media will be determined by State Government from time to time which will be payable for per 10 second on the basis of primetime & non primetime.
11. Non government, commercial radio & non commercial broadcasting will be given advertisement according to similar criteria that of TV channels. In case of community radio government may give relaxation in these rules.

Advertisement to Non Periodical

Para 36: – Generally advertisement is given to periodicals, magazines & journals published under provision of Press & Books Registration Act 1867. Apart from this the Directorate keeping in view the standard & importance may give advertisement to non periodical community newspapers, magazines, rural neighborhood papers, brochures for special target group. The maximum limit of

this advertisement will be 25,000/- rupees as given for souvenirs. For releasing advertisement for more than this amount sanction of government will be necessary.

Advertisement given by Government Departments

Para 37:– All government department will send their classified advertisement for Publication in approved newspapers to the Directorate without mentioning the name of newspapers which has to publish the advertisement. The advertisement should be sent before time of the publication of the advertisement (minimum one week). Publication of information to invite tenders & receiving tenders will be according to the instruction of the concerned departments. However leaving the short time tenders the time limit should be of one week.

1. After receiving advertisement in the Directorate within 7 days (excluding government holidays) it has to be sent to newspapers. Department submitting tenders will keep the time limit in mind.
2. All advertisement received by the Directorate will be sent to approved newspapers in the same form for publication without affecting the purpose. Directorate may shorten the size of big advertisement.

Advertisement of Corporation / Semi Governments and Autonomous Bodies

Para 38:- Advertisement may be published/broadcasted in Rojgar Aur Niyojan, Chhattisgarh Janman & departmental websites of Government departments, Corporations, semi government and autonomous bodies & private institutions according to the approved rates of State Government. However advertisement related to smoking, liquor and which are against public decency or restricted by Rules & Acts shall be banned.

Para 39:- Task of Designing & issuing advertisement for corporation / bodies under all departments of the State Government will be done by the Public Relations Departments creative agency Chhattisgarh Samvad. These advertisement would be issued at DAVP/ approved contract rates.

Para 40:- Applicant for receiving advertisement must follow Press & Books Registration Act 1867, Cable TV Network Act, Information Technology Act and other related Acts. In case of any contravention advertisement will not be given.

Para 41:- All previous instructions before the regulations mentioned in this policy is canceled by this but any order or action under cancelled rules and orders will be taken as under the provision of this policy.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभय कुमार मिश्रा, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बीजापुर, दिनांक 23 जुलाई 2010

क्रमांक/1500/कले./भू-अर्जन/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू नहीं होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बीजापुर	भैरमगढ़	मिरतुर	0.91	पुलिस अधीक्षक, बीजापुर	मिरतूर थाना भवन हेतु

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 22 जुलाई 2010

क्रमांक/6412/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	गोपालपुर प. ह. नं. 8	0.50	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	रूसे जलाशय नहर/नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 जुलाई 2010

क्रमांक/6413/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	सहसपुर प. ह. नं. 5	1.51	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	पुरैना जलाशय डुबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 जुलाई 2010

क्रमांक/10036/भू-अर्जन/10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	सिलादेहीं प.ह.नं. 26	218.647	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, चांपा जिला जांजगीर-चांपा.	औद्योगिक प्रयोजन (1320 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु.)

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 20 जुलाई 2010

क्रमांक 459/02/अ/82 वर्ष 2009-10/भू-अर्जन.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	मगरलोड	बोरसी प. ह. नं. 35	0.90	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी कोड नं. 90.	पनवई नाला व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरूद, मुख्यालय कुरूद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 20 जुलाई 2010

क्रमांक 458/03/अ/82 वर्ष 2009-10/भू-अर्जन.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	मगरलोड	पहंदा प. ह. नं. 35	2.20	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी कोड नं. 90.	पनवई नाला व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरूद, मुख्यालय कुरूद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 20 जुलाई 2010

क्रमांक 457/04/अ/82 वर्ष 2009-10/भू-अर्जन.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	मगरलोड	लड़ेर प. ह. नं. 35	0.26	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी कोड नं. 90.	पनवई नाला व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरूद, मुख्यालय कुरूद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2010

क्र./भू-अर्जन/प्र. क्र. 2/अ-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	बलौदाबाजार	डोंगरा प. ह. नं. 29	474/1	0.158	कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग क्रमांक 2, बलौदाबाजार.	लवन शाखा नहर निर्माण हेतु.
			276/1	0.126		
			473/1	0.174		
			275/1	0.105		
			278	0.012		
			272, 273	0.113		
			253/3, 258/1	0.057		
			271/1	0.020		
			253/22	0.121		
			253/39	0.024		
			260/1	0.109		
			259	0.081		
			243	0.069		
			269/2, 270/1	0.065		
			258/2	0.081		
			257/1	0.061		
			255/2	0.020		
			260/2	0.032		
			238/2	0.028		
			256	0.146		
			244/2	0.069		
			238/1	0.065		
			239/4	0.065		
			34/1	0.081		
			29	0.101		
			28	0.028		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			12/4	0.117		
			22/6	0.012		
			12/1	0.008		
			18/2, 3, 4	0.186		
			13	0.028		
		योग	**31**	**2.362**		

रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2010

क्रमांक/क/वा./भू.अ./प्र. क्र./22/अ-82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा (5) (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	मोवा प. ह. नं. 109/39	755/1	0.182	महानिदेशक, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, रायपुर.	मोवा मे रीजनल साईंस सेन्टर के पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.
			755/2	0.028		
			755/3	0.251		
			764/2	0.016		
			765/2	0.040		
			765/3	0.090		
			766	0.291		
			767/2	0.034		
			767/6	0.092		
			767/7	0.070		
			767/8	0.032		
		योग	**11**	**1.126**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 20 जुलाई 2010

रा.प्र.क्र.-01/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पण्डरिया	झिंगराडोंगरी प. ह. नं. 05	0.574	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.)	मोहपाड़ जलाशय योजना के नहर निर्माण से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पण्डरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 20 जुलाई 2010

रा.प्र.क्र.-02/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पण्डरिया	अमरपुर प. ह. नं. 05	2.773	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.)	मोहपाड़ जलाशय योजना के नहर निर्माण से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पण्डरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 20 जुलाई 2010

रा.प्र.क्र.-03/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पण्डरिया	मदनपुर प. ह. नं. 05	2.351	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.)	मोहपाड़ जलाशय योजना के नहर निर्माण से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पण्डरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 20 जुलाई 2010

रा.प्र.क्र.-04/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पण्डरिया	छीरपानी प. ह. नं. 05	4.084	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.)	मोहपाड़ जलाशय योजना के नहर निर्माण से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पण्डरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 20 जुलाई 2010

रा.प्र.क्र.-05/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पण्डरिया	सरईसेत प. ह. नं. 05	2.247	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.)	मोहपाड़ जलाशय योजना के नहर निर्माण से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पण्डरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 20 जुलाई 2010

रा.प्र.क्र.-06/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पण्डरिया	घोघराखुर्द प. ह. नं. 01	25.366	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.)	महीडबरा जलाशय के बांध पार एवं नहर निर्माण से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पण्डरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 20 जुलाई 2010

रा.प्र.क्र.-06/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पण्डरिया	सनकपाट प. ह. नं. 09	3.121	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.)	मोहपाड़ जलाशय योजना के नहर निर्माण से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पण्डरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 20 जुलाई 2010

रा.प्र.क्र.-07/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पण्डरिया	डोमनपुर प. ह. नं. 22	0.927	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.)	अपर आगर व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पण्डरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 20 जुलाई 2010

रा.प्र.क्र.-08/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पण्डरिया	अमलडीहा प. ह. नं. 20	0.822	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.)	अपर आगर व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पण्डरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 20 जुलाई 2010

रा.प्र.क्र.-09/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पण्डरिया	मंगली प. ह. नं. 07	3.213	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.)	चतरी जलाशय योजना के नहर निर्माण से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पण्डरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 20 जुलाई 2010

रा.प्र.क्र.-10/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पण्डरिया	रोहरा प. ह. नं. 32	0.105	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.)	घोघरा व्यपवर्तन योजना अंतर्गत माइनर नहर निर्माण से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पण्डरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. संगीता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 16 जुलाई 2010

रा. प्र. क्र./35/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	घाटबर्रा	14.362	मे. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम, लि. जयपुर.	परसा ईस्ट एवं केते बासेन कोयला उत्खनन परियोजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 16 जुलाई 2010

रा. प्र. क्र./36/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	साल्ही	4.410	मे. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. जयपुर.	परसा ईस्ट एवं केते बासेन कोयला उत्खनन परियोजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 16 जुलाई 2010

रा. प्र. क्र./37/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	केते	3.774	मे. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम, लि. जयपुर.	परसा ईस्ट एवं केते बासेन कोयला उत्खनन परियोजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 23 जुलाई 2010

क्रमांक/60/अ.वि.अ./भू-अर्जन/03 अ/82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-भोरिंग, प. ह. नं. 137/84
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.045 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	723	0.045
योग	1	0.045

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- कोडार जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निहारिका बारिक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 16 जुलाई 2010

रा.प्र.क्र./22/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-उदयपुर
- (ग) नगर/ग्राम-साल्ही, प. ह. नं. 47
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-25.442 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
146/2	0.346
727/2	0.506
732/2	0.405
732/3	0.614
730/6	1.214
146/4	0.115
706/3	0.150
727/3	0.506
732/4	0.404
136/1	0.142
138/4	0.056
142/2	0.036
146/3	0.116
706/2	0.150
135	0.166
136/5	0.509
147/1	0.091
705	0.040
753/3	0.260
136/3	0.202
138/3	0.089
146/2	0.346

(1)	(2)	(1)	(2)
142/3	0.036	142/1	0.037
133	0.081	753/1	0.101
134/1	0.315	755/3	0.056
139/4	0.041	699/3	0.146
139/7	0.081	700/3	0.176
697/1	0.032	703/4	0.113
696/4	0.056	707/3	0.125
709/7	0.600	708/4	0.081
139/5	0.081	708/6	0.052
139/9	0.177	709/6	0.125
696/6	0.051	134/3	0.150
710/4	0.150	730/7	0.551
139/3	0.040	145	0.117
139/6	0.081	707/1	0.126
696/3	0.050	708/2	0.080
697/2	0.032	709/2	0.182
710/6	0.149	146/1	0.115
699/4	0.146	706/1	0.150
700/2	0.176	698	0.813
142/3	0.036	702	0.478
133	0.081	710/1	0.696
134/1	0.315	707/2	0.053
703/3	0.073	709/4	0.152
730/3	0.429	149/1	0.034
143	1.469	150/1	0.133
134/2	0.150	152/1	0.061
730/2	0.458	694/1	0.033
139/2	0.081	695/1	0.047
139/8	0.081	710/3	0.405
141/1	0.023	699/2	0.146
151	0.433	703/2	0.146
696/2	0.049	700/4	0.106
696/5	0.060	140	0.081
697/3	0.045	730/1	0.583
699/1	0.145	144	0.077
700/1	0.528	148	0.045
703/1	0.332	701	0.170
709/1	0.364	704	0.206
136/2	0.065	149/2	0.033
137	0.036	150/2	0.134
138/2	0.171	152/2	0.061
147/2	0.091	694/2	0.033
753/2	0.060	695/2	0.047
139/1	0.106	149/3	0.034
141/2	0.051	150/3	0.133
696/1	0.086	152/3	0.061
136/4	0.162	694/3	0.033
138/1	0.057	695/3	0.047

(1)	(2)
149/4	0.033
695/1	0.047
710/3	0.405
699/2	0.146
703/2	0.146
700/4	0.106
140	0.081
730/1	0.583
144	0.077
148	0.045
150/4	0.134
152/4	0.060
694/4	0.033
695/4	0.047
709/3	0.600
727/4	0.202
726/14	0.707
755/4	0.256
755/6	0.100
755/5	0.100
709/5	0.150
708/1	0.146
708/5	0.144
707/5	0.142
707/4	0.206
708/3	0.096
708/7	0.097
686	0.300
726/10	0.122
755/7	0.106
150/4	0.134
152/4	0.060
694/4	0.033
695/4	0.047
709/3	0.600
727/4	0.202
726/14	0.707
755/4	0.256
755/6	0.100
योग 157	25.442

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- परसा ईस्ट एवं केते बासेन कोयला उत्खनन परियोजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि. प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 16 जुलाई 2010

रा.प्र.क्र./23/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-उदयपुर
- (ग) नगर/ग्राम-हरिहरपुर, प. ह. नं. 47
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-35.138 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
216/3	0.040
219/4	0.049
220/3	0.022
224/3	0.073
239/21	0.037
240/8	0.048
210/1	0.059
226/1	0.062
229/2 ख	0.023
225/2	0.017
206/1	0.031
222/4	0.040
239/18	0.055
240/12	0.058
224/5	0.068
239/12	0.081
222/1	0.041
239/8	0.056
240/5	0.058
224/2	0.067
191/17	1.537
221	0.142
191/12	0.354
242	0.016
243	0.125
241/2	0.134
216/5	0.040

(1)	(2)	(1)	(2)
219/6	0.049	202/1	0.012
220/5	0.022	204/2	0.048
229/1	0.107	207/2	0.027
239/16	0.037	239/13	0.121
240/10	0.047	183/5	0.033
222/3	0.040	239/5	0.620
239/17	0.055	183/2	0.094
240/11	0.058	225/4	0.030
224/4	0.067	229/8	0.164
239/10	0.620	216/4	0.040
183/4	0.095	219/5	0.040
183/9	0.034	220/4	0.022
35/249/2	0.083	229/3	0.107
239/11	0.540	239/15	0.038
183/8	0.094	240/9	0.048
183/11	0.034	182/6	0.081
210/2	0.018	182/8	0.073
211/2	0.041	192/3	0.060
226/3	0.062	193/3	0.115
229/9	0.022	194/3	0.048
225/3	0.017	195/3	0.037
206/2	0.030	199/3	0.085
239/6	0.809	200/3	0.147
161/1	0.188	204/1	0.049
163/1	0.089	207/3	0.039
160/1	0.073	239/14	0.121
208	0.069	196/4	0.405
209	0.129	184/4	0.028
211/1	0.044	225/1	0.029
226/2	0.123	229/2 क	0.163
244	0.162	191/5	1.528
241/1	0.129	167/2	0.016
245	0.049	161/2	0.085
205	0.490	163/2	0.032
212	0.312	228	1.513
213	0.182	235	1.570
214	0.454	237	0.405
182/5	0.081	122	0.268
182/7	0.073	230/1	0.140
192/2	0.059	231/2	0.299
193/2	0.119	233/2	0.280
194/2	0.047	234/1	0.334
195/2	0.036	120/2	0.060
196/2	0.124	133/1	0.121
198/2	0.071	231/4	0.158
199/2	0.085	238/1	0.080
200/2	0.147	175/2	0.534

(1)	(2)
176	0.182
177	0.393
178	0.069
179	0.158
180	0.289
181/2	0.526
240/2	0.324
164	0.166
165	0.057
166	0.279
168	0.068
119/2	0.047
184/1	0.016
182/3	1.198
183/3	0.980
134	0.295
240/3	0.275
239/2	0.283
218	0.696
217	0.376
216/1	0.120
219/2	0.146
220/1	0.066
223/2	0.093
239/4	0.112
240/4	0.142
182/2	0.081
182/4	0.073
192/1	0.059
193/1	0.118
194/1	0.047
195/1	0.036
196/1	0.124
198/1	0.072
199/1	0.085
200/1	0.147
203	0.040
207/1	0.047
239/3	0.112
118	0.028
216/2	0.120
219/3	0.146
220/2	0.066
222/2	0.077
239/19	0.112
240/7	0.142
230/2	0.022
231/1	0.302
233/1	0.048
233/3	0.077
234/2	0.334
133/2	0.121
231/3	0.191
238/2	0.080
215/2	0.445
219/1	0.049
223/1	0.093
224/1	0.089
239/9	0.166
240/6	0.174
132	0.186
135	0.175
191/10	0.526
191/11	0.354
229/10	0.284
183/10	0.859
191/6	0.769
239/20	0.647
184/5	0.016
119/4	0.047
योग 191	35.138

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- परसा ईस्ट एवं केते बासेन कोयला उत्खनन परियोजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि. प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 16 जुलाई 2010

रा.प्र.क्र./24/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-उदयपुर

(ग) नगर/ग्राम-परसा, प. ह. नं. 47

(घ) लगभग क्षेत्रफल-109.062 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
447/1	0.066
270/5	0.127
285/5	0.232
290/5	0.022
304/6	0.058
311/1	0.142
289/5	0.016
414/4	0.144
415/3	0.036
417/4	0.048
701/3	0.057
334/2	0.264
279/6	0.060
281/1	0.101
696/1	0.050
300/1	0.026
303/1	0.118
280/13	0.161
351/1	0.071
700/6	0.061
721/9	0.031
294/3	0.380
260	0.560
238/4	0.081
238/5	0.081
294/5	0.931
696/3	0.051
281/3	0.101
279/8	0.061
697/2	0.189
704/3	0.117
345/1	0.389
391	0.486
347/1	0.101
348	0.129
349	0.450
350	0.206
243/2	0.202
369/2	0.729
270/7	0.390
285/7	0.231
290/6	0.022
296	0.073
304/8	0.058
389/4	0.017
420	0.061
435	0.223
446/2	0.212
252/2	0.219
253	0.219
292/3	0.042
293/2	0.091
279/4	0.034
263/1	0.107
275/1	0.186
364/1	0.253
394/1	0.046
274	0.534
319/1	0.162
320/1	0.162
325/1	0.057
326/1	0.239
327/1	0.081
328/1	0.113
331	0.146
323/3	0.072
324/3	0.105
338/2	0.131
414/1	0.145
417/2	0.071
774/2	0.053
700/5	0.061
721/11	0.030
223/805	0.688
280/8	0.235
306/4	0.024
431/6	0.066
351/6	0.071
279/7	0.061
281/2	0.101
696/2	0.050
286/1	0.077

(1)	(2)	(1)	(2)
291	0.198	368/3	0.054
270/1	0.343	292/2	0.093
285/1	0.230	279/2	0.035
290/1	0.021	270/6	0.506
297/2	0.069	285/6	0.230
304/2	0.058	295/2	0.257
389/6	0.017	304/7	0.113
250	1.100	251/2	0.037
363	0.235	430/4	0.182
294/6	0.194	431/8	0.040
280/12	0.151	438/4	0.077
431/5	0.067	439/2	0.105
351/4	0.071	447/2	0.066
700/4	0.061	433/2	0.081
721/1	0.030	447/3	0.066
292/1	0.051	389/3	0.122
279/3	0.034	396/2	0.267
279/9	0.061	416/2	0.303
281/4	0.102	438/2	0.117
696/4	0.051	414/5	0.331
321/2	0.126	415/4	0.114
322/2	0.042	280/3	0.137
323/6	0.009	431/1	0.067
459/2	0.089	302/2	0.080
338/6	0.143	303/2	0.071
414/6	0.144	351/2	0.136
417/5	0.072	280/7	0.137
335/3	0.049	306/1	0.024
774/5	0.020	351/5	0.135
459/2	0.040	431/9	0.067
239	0.328	303/3	0.070
699	1.259	416/3	0.190
352/1	0.172	430/2	0.526
382/4	0.287	286/2	0.077
382/5	0.305	433/1	0.295
294/4	0.534	447/4	0.065
279/4	0.210	352/2	0.121
280/1	0.113	382/2	0.057
700/1	0.062	382/3	0.261
721/10	0.030	238/7	1.214
278/2	0.063	698	0.190
368/2	0.054	251/1	0.036
332/4	0.070	430/3	0.182
231/1	0.301	431/4	0.041
223/805	0.241	438/3	0.077
278/3	0.063	439/1	0.105

(1)	(2)	(1)	(2)
701/2	0.057	290/4	0.070
701/4	0.057	297/3	0.041
293/1	0.091	299/2	0.064
279/5	0.035	304/5	0.144
249	0.372	305/2	0.067
255	1.044	384	0.121
252/1	0.202	385/2	0.016
286/3	0.077	386/2	0.101
279/1	0:291	338/5	0.105
360	0.170	240/4	0.310
265/3	0.543	241/3	0.150
268/1	0.223	243/6	0.115
269	0.198	273/3	0.282
278/1	0.064	263/3	0.108
368/1	0.054	275/2	0.186
266/1	0.061	322/4	0.114
266/2	0.060	339/2	0.182
268/2	0.024	340/3	0.355
286/4	0.077	341/3	0.077
280/6 क	0.242	344/3	0.336
307	0.085	345/3	0.121
308/2	0.123	347/3	0.800
432/2	0.081	353/4	0.141
284	0.324	355/3	0.067
407	0.364	364/2	0.252
237	0.101	382/6	0.037
356	1.361	393/3	0.176
358	0.862	703	0.352
367	0.494	394/2	0.047
405	0.112	775/2	0.016
369/3	0.324	396/3	0.134
371	0.749	398	0.174
372	0.077	400	0.085
374/2	0.680	457/3	0.185
231/2	0.096	772/2	0.081
232/2	0.380	280/2	0.138
233/1	0.397	280/4	0.081
361/1	0.559	298	0.040
373	0.247	319/2	0.113
375/1	0.284	320/2	0.105
381	0.129	390	0.372
406/1	0.178	431/3	0.056
408/1	0.153	432/2	0.166
270/4	0.531	352/2	0.158
285/4	0.462	300/2	0.243
289/4	0.026	223	0.235

(1)	(2)	(1)	(2)
224	0.243	347/2	0.799
310	0.101	353/3	0.142
314	0.362	355/1	0.067
316	0.142	382/1	0.036
354	0.543	393/1	0.177
380	0.648	342/775/1	0.016
383	0.057	396/1	0.133
402	0.287	474/2	0.075
404	0.093	772/1	0.081
409	0.049	700/3	0.245
271	0.918	321/3	0.126
392	0.154	322/3	0.042
403	0.077	323/1	0.040
411	0.295	323/4	0.039
306/2	0.081	333/2	0.065
308/1	0.120	324/1	0.121
429/1	0.097	338/1	0.174
430/1	0.282	414/2	0.144
431/2	0.231	415/1	0.028
270/2	0.069	417/1	0.056
285/2	0.922	474/4	0.074
289/2	0.053	459/5	0.050
290/2	0.065	282	0.206
295/1	0.257	329	0.640
301	0.097	336	0.129
304/1	0.198	280/11	0.220
304/3	0.287	437/2	0.253
309/2	0.085	442	0.190
311/3	0.073	326/2	0.162
315	0.113	327/2	0.085
283	0.150	328/3	0.034
280/9	0.218	325/2	0.089
429/2	0.154	320/3	0.020
328/2	0.015	697/3	0.189
431/7	0.069	704/1	0.117
238/3	0.105	701/1	0.172
240/1	0.309	300/3	0.027
241/1	0.149	302/1	0.139
242	0.040	306/3	0.025
243/3	0.112	351/7	0.212
273/1	0.283	313/1	0.202
332/1	0.113	330	0.117
339/1	0.182	337/1	0.035
344/1	0.356	436/1	0.283
341/1	0.077	456	0.223
340/1	0.356	317/1	0.520
345/1	0.122	423	0.543

(1)	(2)	(1)	(2)
710	0.032	406/2	0.024
702	0.243	279/3	0.478
240/3	0.549	294/2	0.146
241/2	0.106	445	0.097
272/2	0.283	446/1	0.112
273/2	0.564	240/2	0.546
332/2	0.151	272/1	0.540
457/2	0.185	340/2	0.134
353/3	0.960	341/2	0.154
263/2	0.214	342	0.413
474/1	0.150	343	0.096
265/1	0.271	344/2	0.291
321/4	0.127	353/1	0.691
322/4	0.042	388	0.134
323/5	0.051	389/1	0.103
324/4	0.163	416/1	0.300
335/2	0.049	416/4	0.186
338/4	0.105	457/1	0.185
774/1	0.074	458	0.073
459/3	0.020	332/3	0.134
438/1	0.077	450	0.146
319/3	0.162	449	0.134
280/10	0.218	453	0.077
389/2	0.097	455	0.275
351/3	0.243	264	0.413
437/1	0.253	313/2	0.138
352/4	0.190	317/2	0.405
697/1	0.189	318	0.364
704/2	0.116	337/2	0.020
248	0.862	397	0.089
334/1	0.100	399	0.214
333/1	0.036	436/2	0.284
459/4	0.035	315	0.113
254	0.259	436/3	0.121
261	0.490	451	0.635
288	0.239	226	0.138
357	0.247	359	0.757
375/2	0.283	401	0.364
408/2	0.013	410	0.045
222	0.352	235	0.256
225	0.085	236	0.093
232/1	0.276	444	0.129
233/2	0.396	265/2	0.271
361/2	0.558	321/1	0.126
377	0.348	322/1	0.040
378	0.154	324/2	0.154

(1)	(2)
323/2	0.036
335/1	0.036
338/3	0.274
414/3	0.144
415/2	0.057
417/3	0.069
459/1	0.050
774/3	0.074
294/10	0.628
294/11	0.324
294/8	0.466
294/15	0.922
427	0.073
443/2	0.226
238/8	0.506
721/3	0.162
262/2	0.728
294/9	0.547
312	0.049
294/14	0.526
287	0.587
294/13	0.709
294/12	0.364
238/6	0.547
362/3	0.425
374/3	0.295
243/4	1.659
243/5	0.971
721/4	0.283
721/5	0.340
721/7	0.668
256	0.150
257	0.275
258	0.231
270/3	0.534
285/3	0.462
289/3	0.024
290/3	0.071
297/1	0.048
299/1	0.065
304/4	0.144
305/1	0.067
309/1	0.069
311/2	0.089
385/1	0.016
386/1	0.344
387	0.057
280/5	0.483
352/3	0.172
430/5	0.165
700/2	0.251
700/7	0.405
227	0.008
421	0.725
424	0.085
425	0.413
426	0.138
434	0.040
452	0.336
454	0.202
422	1.134
448	0.523
228	0.150
440	0.077
441	0.135
268/3	0.482
योग 518	109.062

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- परसा ईस्ट एवं केते बासेन कोयला उत्खनन परियोजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि. प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 16 जुलाई 2010

रा.प्र.क्र./25/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-उदयपुर
- (ग) नगर/ग्राम-केते, प. ह. नं. 47
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-194.476 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
122/2	0.154
247/2	0.121
265/2	0.121
266/2	0.085
282/2	0.121
292/2	0.101
313/2	0.061
314/2	0.081
462/2	0.202
469/2	0.020
509/2	0.081
568/2	0.020
569/2	0.016
570/2	0.121
167	0.040
168	0.210
468/2	0.101
538	0.583
210/2	0.085
211	0.239
212/2	0.219
220	0.809
472/2	0.208
516	0.458
409/1	0.113
175/3	0.147
190/2	0.305
224/3	0.084
539/2	0.178
219/1	0.113
405/1	0.061
406	0.036
407	0.077
408/1	0.073
212/1	0.198
224/2	0.223
289/7	0.405
222/3	0.154
50/2	0.227
50/7	0.109
51/4	0.021
63/7	0.070
78/9	0.119
103/4	0.160

(1)	(2)
501/2	0.750
558/2	0.110
213/2	0.162
455/2	0.111
456/2	0.150
457/2	0.054
506/2	0.172
572/1	0.138
25/1	0.050
62/3	0.176
526/2	0.124
97	0.053
99	0.125
50/6	0.329
51/5	0.030
63/8	0.070
78/10	0.118
103/5	0.160
389	0.012
571/4	0.105
573/4	0.033
2/2	0.083
7/2	0.071
24/2	0.134
54/3	0.028
25/5	0.017
53/3	0.075
263/2	0.279
529/2	0.090
55/3	0.022
572/2	0.121
571/5	0.106
48/2	0.128
75/1	0.304
74/3	0.174
73/2	0.050
72	0.053
77	0.348
269/2	0.075
393/2	0.044
394/1	0.004
404/2	0.035
48/5	0.128
75/2	0.304
74/2	0.162
71/2	0.462
269/5	0.075

(1)	(2)	(1)	(2)
394/4	0.050	7/1	0.071
404/3	0.036	25/2	0.017
354	0.093	53/1	0.075
355	0.008	54/1	0.028
356	0.105	24/1	0.134
28/2	0.494	55/1	0.055
130/2	0.340	263/1	0.243
219/2	0.071	529/1	0.091
224/4	0.112	114	0.069
238/1	0.116	117	0.101
405/4	0.058	571/6	0.048
539/4	0.077	558/3	0.101
190/4	0.081	2/3	0.084
191/4	0.036	7/3	0.072
224/5	0.084	24/3	0.134
238/2	0.115	54/4	0.029
276/2	0.138	25/4	0.016
405/2	0.058	53/4	0.075
409/3	0.043	55/4	0.087
289/4	0.193	263/3	0.211
118/1	0.040	529/3	0.090
562/1	0.161	562/2	0.237
213/3	0.016	213/1	0.162
214	0.146	50/5	0.109
453	0.008	51/2	0.238
454	0.081	63/3	0.070
455/1	0.095	78/8	0.119
456/2	0.077	103/3	0.170
457/1	0.055	121/2	0.043
506/1	0.172	122/3	0.071
191/1	0.134	247/4	0.040
405/3	0.058	247/6	0.161
409/4	0.044	265/4	0.101
539/3	0.077	266/4	0.030
120	0.024	292/1	0.101
121/1	0.042	399/2	0.160
122/1	0.083	462/6	0.250
247/3	0.139	462/7	0.020
265/3	0.106	570/3	0.101
266/3	0.080	462/3	0.030
292/4	0.101	10	0.198
462/4	0.050	524/2	0.168
462/5	0.220	14/2	0.260
568/3	0.110	40	0.085
569/3	0.043	41/2	0.075
570/4	0.110	284/2	0.224
2/1	0.084		

(1)	(2)	(1)	(2)
523/1	0.197	134/1	0.202
537/2	0.170	54/2	0.308
42	0.599	55/2	0.151
93	0.324	96	0.247
175/2	0.197	60	0.016
190/1	0.040	53/2	0.040
190/5	0.032	425	0.498
191/3	0.154	25/3	0.050
219/3	0.071	33	0.036
224/1	0.231	34	0.093
225	0.142	35	0.020
276/1	0.279	52	0.170
539/1	0.154	53/5	0.290
388	0.182	62/2	0.135
390	0.016	249	0.150
391	0.097	572/3	0.154
19	0.291	574/2	0.067
48/3	0.128	573/2	0.038
75/4	0.281	11	0.393
71/3	0.406	12	0.061
73/1	0.071	14/3	0.006
269/3	0.074	41/3	0.158
394/2	0.048	284/3	0.224
404/5	0.036	524/1	0.366
62/4	0.188	537/3	0.170
571/3	0.022	9	0.543
573/1	0.037	21	0.299
574/1	0.067	251/1	0.728
584/2	0.084	292/5	0.101
526/3	0.124	568/4	0.040
48/4	0.128	570/5	0.101
69/2	0.092	378	0.028
74/1	0.101	379	0.049
71/1	0.431	380	0.012
269/4	0.074	316	0.065
394/3	0.048	325	0.134
404/4	0.035	328	0.040
75/3	0.304	329	0.016
135/2	0.142	330	0.113
136	0.142	331	0.085
137	0.045	332	0.154
138	0.049	333	0.012
139/1	0.199	222/2	0.129
139/2	0.020	223/2	0.154
140	0.263	350	0.012
150	0.336	351	0.085

(1)	(2)	(1)	(2)
352	0.097	568/1	0.057
353	0.158	569/1	0.054
327	0.045	570/1	0.255
343	0.040	160/3	0.243
344	0.081	161/3	0.247
345	0.287	163/3	0.115
62/1	0.181	185/3	0.042
571/2	0.132	186/3	0.047
526/1	0.124	198/3	0.089
584/1	0.084	199/3	0.117
44/2	0.097	228/3	0.186
46	0.016	230/3	0.081
47	0.012	231/3	0.199
175/1	0.197	264/3	0.236
51/1	0.104	281/3	0.185
190/3	0.202	305/2	0.225
191/2	0.041	494/3	0.116
224/6	0.140	520/3	0.306
236	0.057	192/590/3	0.075
376/2	0.162	192/591/3	0.044
408/2	0.073	160/2	0.243
409/2	0.043	161/2	0.247
232	0.036	163/2	0.114
227	0.138	185/2	0.042
233	0.259	186/2	0.046
237	0.020	198/2	0.089
239	0.324	199/2	0.116
240	0.053	228/2	0.187
241	0.089	230/2	0.081
242	0.316	231/2	0.198
273	0.247	264/2	0.237
275	0.530	281/2	0.185
324	0.138	305/3	0.225
368	0.129	494/2	0.116
369	0.097	520/2	0.304
370	0.081	192/590/2	0.074
371	0.008	192/591/2	0.045
129	0.073	254	0.821
141	0.045	309	0.421
142	0.433	310	0.097
247/5	0.601	445	0.008
265/5	0.550	447	0.081
266/1	0.173	447/586	0.024
282/3	0.405	448	0.174
292/3	0.118	461	0.547
462/1	0.304	495	0.611
509/1	0.174	247/1	0.541

(1)	(2)	(1)	(2)
251/2	0.729	146	0.113
265/1	0.409	147	0.100
282/1	0.797	148	0.462
313/1	0.129	259/1	0.441
314/1	0.279	493	0.275
399/1	0.403	149/1	0.345
468/1	0.405	449	0.571
469/1	0.190	450	0.279
560	0.223	451	0.008
561	0.158	452	0.097
164	0.210	458/2	0.162
165	0.158	512	0.243
166	0.372	518	1.392
210/1	0.024	525	0.166
218/2	0.182	171	0.134
221	0.376	172	0.146
222/1	0.328	173	0.117
223/1	0.316	174	0.749
258	0.510	319	0.150
283	0.320	48/1	0.128
326/1	0.207	65	0.121
334	0.255	66	0.267
335	0.235	67	0.332
336	0.425	68	0:061
337	0.032	69/1	0.147
338	0.085	269/1	0.074
472/1	0.209	392	0.012
514	1.267	393/1	0.037
160/1	0.243	404/1	0.056
161/1	0.247	5/2	0.178
192/590/1	0.074	17/2	0.194
163/1	0.115	22/2	0.214
192/591/1	0.045	21/1	0.129
228/1	0.186	36	0.028
230/1	0.081	128/2	0.077
231/1	0.198	58	0.032
264/1	0.236	157/2	0.433
281/1	0.185	527/2	0.453
198/1	0.089	182	0.454
199/1	0.116	293	0.251
305/1	0.226	533	0.332
[illegible]4/1	0.116	554/2	0.169
52[illegible]/1	0.304	555/3	0.170
185/1	0.041	381	0.008
186/1	0.046	382	0.089
144	0.036	383	0.190
145	0.109	272/585	0.356

(1)	(2)	(1)	(2)
531/4	0.188	467/1	0.073
532/1	0.105	320/2	0.194
183	0.356	491/2	0.518
192/592	0.210	180	1.153
197	0.097	201	0.393
264/593	0.506	90	1.197
290	0.138	253	0.450
354/594	0.081	256	0.506
489	0.364	410	0.028
490	0.344	413	0.729
497	0.089	434	0.991
498	0.235	441	0.008
503	0.178	442	0.081
511	0.279	443	0.162
528	0.267	444	0.198
178	0.125	473	0.478
192	0.454	475	0.450
193	1.424	476	0.259
366	0.081	500	0.380
367	0.036	502	0.393
522	0.567	508	0.700
196	0.567	79/1	0.405
360	0.040	87/1	0.795
361	0.012	106/1	0.430
84/1	0.133	133/1	0.148
115/1	0.005	153/1	0.033
123/1	0.036	152/1	0.327
124/1	0.024	162/1	0.273
125/1	0.032	422/1	0.372
244/1	0.180	424/1	0.494
245/1	0.018	400/1	0.411
246/1	0.125	415/1	0.021
267/1	0.068	417	0.271
268/1	0.087	418/1	0.036
270/1	0.061	427/2	0.249
271/1	0.168	428/2	0.249
272/1	0.402	339	0.109
280/1	0.058	340	0.085
301/1	0.066	341	0.004
302/1	0.061	477	0.020
303/1	0.213	478	0.405
396/1	0.016	480	0.125
402/1	0.004	481	0.526
463/1	0.097	482	0.085
464/1	0.048	483	0.575
465/1	0.091	485	0.514
466/1	0.038	244/3	0.181

(1)	(2)	(1)	(2)
245/3	0.018	30/2	0.182
246/3	0.124	532/3	0.008
159/2	0.186	44/1	0.041
159/3	0.973	89	0.121
289/5	1.172	255	0.405
519	0.971	411	0.332
189	0.644	435	0.713
202	0.878	436	0.198
204	0.372	437	0.255
205	0.522	438	0.097
257	0.672	439	0.036
261	0.458	501/1	0.816
277	0.934	513	0.979
279	0.332	84/4	0.132
295	0.348	115/4	0.005
296	0.142	123/4	0.035
307	0.299	124/4	0.024
308	0.065	125/4	0.031
346	0.012	244/4	0.180
372	0.089	245/4	0.019
373	0.134	246/4	0.124
374	0.186	267/4	0.067
375	0.008	268/4	0.087
376/1	0.178	270/4	0.061
487	0.640	271/4	0.168
492	0.388	272/4	0.401
320/1	0.174	280/4	0.058
348	0.085	301/4	0.066
349	0.028	302/4	0.060
347	0.206	303/4	0.214
364/1	0.530	396/4	0.016
491/1	0.749	402/2	0.004
499	0.340	463/4	0.097
517	0.178	464/4	0.047
556	0.154	465/4	0.091
479	0.312	466/4	0.039
5/3	0.186	467/4	0.072
8/1	0.364	17/1	0.320
13/1	0.040	18/1	0.283
22/3	0.235	18/3	0.049
31/2	0.154	26/1	0.081
157/4	0.324	27/1	0.203
521	0.308	29	0.081
531/1	0.031	56/1	0.953
531/3	0.078	262/1	0.210
555/5	0.170	553/2	0.602

(1)	(2)
304/2	0.049
306	0.263
91	0.093
131	0.129
143	0.081
285	1.271
286	0.121
287	0.247
289/2	0.474
289/6	0.194
297	0.243
298	0.166
322	0.174
357	0.255
358	0.020
359	0.271
362	0.085
363	0.138
364	0.089
365	0.008
385	0.061
217	0.321
102	0.223
260	0.186
311	0.069
312	0.146
321	0.162
460	0.640
484	1.141
[illegible]	0.243
486	0.372
5/1	0.429
8/2	0.647
13/2	0.069
22/1	0.182
30/3	0.121
31/3	0.089
32	0.081
127	0.304
157/1	0.117
157/3	0.344
531/2	0.101
532/2	0.060
555/4	0.170
18/2	0.191
22/5	0.056
26/2	0.041
30/1	0.186
49/1	0.263
57/1	0.133
112/1	0.117
113/1	0.045
116/1	0.004
510/1	0.771
527/1	0.203
553/1	0.087
554/1	0.023
555/1	0.105
59/1	0.020
84/2	0.067
115/2	0.002
123/2	0.018
124/2	0.012
125/2	0.016
244/2	0.090
245/2	0.009
246/2	0.063
267/2	0.034
268/2	0.043
270/2	0.031
271/2	0.084
272/2	0.201
280/2	0.029
301/2	0.033
302/2	0.030
303/2	0.107
396/2	0.008
463/2	0.049
464/2	0.024
465/2	0.045
466/2	0.019
467/2	0.036
63/4	0.324
70/4	0.632
103/2	0.040
416	0.016
226/3	0.316
218/8	0.75
63/5	0.285
83/2	0.332
218/10	0.425
218/23	0.402
45	0.247
543/2	0.457

(1)	(2)
563	0.186
78/4	1.055
100/1	0.162
159/4	0.206
414	0.040
218/9	0.785
218/24	0.162
218/14	0.239
248/4	0.214
176/2	0.089
218/7	0.403
218/5	0.393
218/12	0.405
63/6	0.413
78/3	0.097
104	0.239
154	0.263
14/1	0.106
20	0.061
38	0.020
39	0.109
41/1	0.029
284/1	0.224
523/2	0.009
530	0.356
537/1	0.170
118/2	0.041
562/3	0.161
558/1	0.008
571/1	0.105
573/3	0.034
134/2	0.284
151	0.227
210/3	0.234
323	0.194
326/2	0.202
101/1	0.449
106/2	0.264
107	0.097
108	0.069
152/2	0.328
153/2	0.035
162/2	0.273
400/2	0.411
415/2	0.328
422/2	0.465
423	0.441
424/2	0.534
432/1	0.414
79/3	0.982
80	0.733
81	0.081
106/3	0.361
132	0.032
133/2	0.115
153/3	0.004
170	0.417
386	0.069
419/1	0.113
420/1	0.215
421	0.162
431/1	0.411
432/2	0.415
79/4	0.405
82/1	0.590
88	0.142
101/2	0.402
105/1	0.600
106/4	0.430
133/3	0.148
152/3	0.328
153/4	0.051
162/3	0.273
418/2	0.227
419/2	0.101
431/2	0.411
82/2	0.591
101/3	0.557
105/2	0.129
106/5	0.429
133/4	0.148
152/4	0.328
153/5	0.050
162/4	0.272
169	0.012
377/1	0.121
384	0.129
397	0.283
398	0.328
400/3	0.032
401	0.008
420/2	0.161

(1)	(2)	(1)	(2)
429	0.142	272/3	0.134
430	0.024	280/3	0.019
529/587/1	0.336	301/3	0.022
431/3	0.036	302/3	0.020
79/2	0.033	303/3	0.071
85	1.137	396/3	0.005
86/1	1.292	463/3	0.033
87/2	0.545	464/3	0.015
110/2	0.105	465/3	0.031
155/2	0.289	466/3	0.013
156/1	0.304	467/3	0.025
158/1	1.064	22/4	0.223
177/2	0.712	22/6	0.061
184/2	0.220	555/2	0.341
187/2	0.475	229	0.186
188/2	0.140	27/2	0.203
200/1	0.606	56/2	0.953
377/3	0.154	262/2	0.353
428/1	0.285	553/3	0.324
564/1	0.239	259/2	0.441
559/1	0.075	149/2	0.202
86/2	1.552	18/4	0.190
87/3	0.546	22/7	0.057
110/1	0.105	26/3	0.040
156/2	0.303	30/4	0.187
155/1	0.290	49/2	0.263
158/2	1.064	57/2	0.134
177/1	0.712	59/2	0.020
184/1	0.221	112/2	0.118
187/1	0.476	113/2	0.044
188/1	0.139	116/2	0.004
200/2	0.308	510/2	0.771
250	0.769	527/3	0.202
377/2	0.154	553/3	0.087
427/1	0.127	554/3	0.022
564/2	0.239	555/7	0.105
559/2	0.075	3	0.806
84/3	0.044	84/5	0.066
115/3	0.002	115/5	0.003
123/3	0.012	123/5	0.018
124/3	0.008	124/5	0.012
125/3	0.010	125/5	0.016
267/3	0.023	244/5	0.090
268/3	0.029	245/5	0.009
270/3	0.020	246/5	0.062
271/3	0.056	267/5	0.034

(1)	(2)
268/5	0.044
270/5	0.030
271/5	0.084
272/5	0.201
280/5	0.029
301/5	0.033
302/5	0.031
303/5	0.106
396/5	0.008
463/5	0.048
464/5	0.024
465/5	0.046
466/5	0.019
467/5	0.037
84/6	0.044
115/6	0.001
123/6	0.012
124/6	0.008
125/6	0.010
267/6	0.023
268/6	0.029
270/6	0.020
271/6	0.056
272/6	0.134
280/6	0.019
301/6	0.021
302/6	0.021
303/6	0.072
396/6	0.006
463/3	0.032
464/6	0.016
465/6	0.030
466/6	0.013
467/6	0.024
84/7	0.044
115/7	0.002
123/7	0.011
124/7	0.009
125/7	0.010
267/7	0.022
268/7	0.029
270/7	0.020
271/7	0.056
272/7	0.134
280/7	0.019
301/7	0.022
302/7	0.020
303/7	0.071
396/7	0.006
463/7	0.032
464/7	0.016
465/7	0.030
466/7	0.013
467/7	0.024
1/14	0.049
553/600	0.100
553/601	0.050
51/3	0.060
556/598	0.130
535	0.050
128/1	0.130
531/5	0.251
218/22	0.300
1/12	0.240
215/6	0.200
योग 993	194.476

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- परसा ईस्ट एवं केते बासेन कोयला उत्खनन परियोजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि. प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 16 जुलाई 2010

रा.प्र.क्र./26/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-उदयपुर
- (ग) नगर/ग्राम-घाटबर्रा, प. ह. नं. 47
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-333.764 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)	(1)	(2)
727	0.267	169/7	0.761
765	0.340	342/2	0.291
771	0.547	343/2	0.575
830	0.320	365/5	0.162
434/4	0.490	512/3	0.020
435/4	0.102	513	0.032
663	0.020	829	0.696
664	0.028	690	0.081
662/1	0.194	692	0.012
885/3	0.069	693/1	0.069
667	0.016	691	0.016
668	0.020	705	0.008
669/1	0.114	601/3	0.567
674	0.020	677	0.138
675/1	0.121	678	0.012
245	0.045	679	0.049
246	0.032	601/4	0.178
247	0.077	718/2	0.136
248	0.089	719	0.162
320/15	0.243	242	0.016
336/20 क	0.259	243	0.134
496/12	0.405	244	0.093
823/1	0.405	460/2	0.222
826	0.259	466/2	0.120
3/2	0.050	467	0.036
4/2	0.074	336/5	0.421
224/3	0.151	320/10	1.659
225/3	0.057	699	0.186
226/2	0.202	700	0.012
234/2	0.624	701	0.040
235/2	0.135	702	0.049
235/4	0.089	698	0.158
233/4	0.109	721	0.077
787	0.057	723	0.194
782/2	0.325	841/2	0.134
783	0.05[illegible]	881	0.1[illegible]9
803	0.769	648/2	0.162
739	0.008	648/4	0.162
740	0.081	670	0.020
741	0.057	671	0.024
800	0.401	672	0.259
287/2	0.243	673	0.028
496/2	0.162	675/2	0.158
372/1	0.032	304/6	[illegible].419
		789/2	0.032
		460/1	0.223
		466/1	0.192

(1)	(2)	(1)	(2)
480	0.166	514	0.267
580	0.004	515	0.049
336/6	0.081	516	0.036
339	0.198	518/1	0.032
689	0.129	425/3	0.103
687	0.008	454/1	0.199
688	0.049	579/2	0.004
873/32	0.405	584	0.194
875/3	0.222	585/3	0.210
240	0.008	586/2	0.004
885/7	1.255	586/3	0.069
38/2	0.717	586/4	0.004
291	0.360	756	0.348
292	0.045	762/1	0.267
295	0.388	832	0.332
296	0.202	34/1	0.445
304/4	0.028	772	0.397
1/4	0.077	773	0.028
33	1.032	370/2	0.283
193	0.008	375	0.085
200	0.166	380/3	0.028
201	0.081	376/2	0.170
693/2	0.081	139/2	0.095
694/1	0.162	229/2	0.467
50	0.543	232/3	0.160
51	0.093	235/5	0.135
649	0.109	782/1	0.242
650	0.065	1/19	0.789
651	0.020	1/2	0.898
814	1.052	63	1.254
250/1	0.061	508/2	0.016
250/6	0.053	509	0.486
251/1	0.045	365/2	0.101
252	0.008	715/1	0.098
349/4	0.283	715/2	0.098
350	0.194	715/3	0.099
355/1	0.125	716/3	0.101
355/4	0.198	434/6	0.101
356/1	0.044	434/7	0.101
357/1	0.043	434/1	0.108
359/2	0.120	435/1	0.166
449/1	0.037	435/3	0.081
450/1	0.117	438	0.198
481/1	0.032	77/10	0.809
491/2	0.062	873/2	0.672
492/2	0.247	202	0.008
510/2	0.033	203	0.049
722/2	0.125	204	0.081

(1)	(2)	(1)	(2)
519	0.186	274	0.045
520/1	0.061	304/9	0.324
560/1	0.004	307	0.401
562/1	0.065	399/13	0.097
520/3	0.142	832/2	0.061
320/3	0.077	703	0.077
707	0.065	713/5	0.179
708	0.004	779/1	1.335
709	0.077	194	0.077
710	0.105	195	0.008
711	0.142	196/1	0.115
646	0.089	197/1	0.190
647	0.247	198/1	0.693
652	0.024	113	0.259
653	0.445	114	0.186
654	0.097	885/9	1.740
802/3	0.688	342/4	0.214
873/3	0.413	344/3	0.061
108/2	0.148	345/2	0.151
146/2	0.008	346/2	0.267
213/2	0.163	349/9	0.174
214/3	0.065	363/4	0.057
502/2	0.080	400/3	0.162
502/3	0.080	512/5	0.024
503/2	0.243	579/1	0.008
342/1	0.227	320/23	0.251
344/1	0.064	102/2	0.129
346/1	0.271	250/3	0.101
349/2	0.348	250/5	0.061
362/1	0.081	46	0.263
363/1	0.057	48	0.223
400/1	0.101	49	0.206
512/1	0.024	121	0.304
488	0.065	125	0.478
489	0.069	442	0.202
399/6	0.372	461	0.097
250/2	0.077	572	0.008
250/4	0.064	573	0.081
251/2	0.032	574	0.138
1/5	0.554	731	0.012
77/2	0.081	732	0.049
80	0.299	733	0.081
60	0.356	355/3	0.324
302	0.065	356/2	0.045
29	0.057	510/1	0.033
52	0.061	577	0.008

(1)	(2)	(1)	(2)
587	0.081	695	0.012
588	0.186	696	0.049
451	0.328	798/2	0.275
341	0.316	336/21	0.299
355/2	0.324	377	0.089
357/2	0.043	378	0.227
359/1	0.119	379	0.134
448	0.081	380/2	0.028
449/2	0.008	381	0.214
450/2	0.118	382/1	0.048
481/2	0.033	383/1	0.069
491/1	0.063	336/4	0.040
492/1	0.247	315	0.486
510/3	0.035	498	0.231
735/2	0.126	499	0.053
270	0.506	873/33	0.364
625	0.040	463	0.073
626	0.036	464	0.174
627	0.008	465	0.146
816	0.299	716/1	0.081
421	0.049	434/2	0.223
760	0.186	294/3	0.181
797	0.688	139/1	0.095
818	0.433	221	0.093
728	0.279	222/3	0.294
729	0.069	232/2	0.162
730	0.012	233/3	0.108
873/1	0.275	278	0.186
342/5	0.202	124/4	0.055
344/2	0.061	235/3	0.135
345/3	0.223	231	0.595
349/8	0.184	486/1	0.348
363/3	0.057	557/2	0.109
365/3	0.150	558/2	0.032
400/2	0.227	559/2	0.012
512/4	0.024	553/1	0.071
585/2	0.016	508/1	0.174
108/4	0.147	600	0.186
146/1	0.065	598/2	0.190
503/1	0.093	680	0.049
502/1	0.080	681	0.012
502/4	0.080	683	0.182
196/2	0.051	391/1	0.461
197/2	0.020	392	0.109
198/3	0.250	483/1	0.324
694/2	0.093	556/1	0.036

(1)	(2)	(1)	(2)
563/1	0.039	885/4	0.376
564/1	0.126	504	0.275
568	0.028	36	0.983
571	0.036	41/2	0.308
801	0.344	79	0.829
508/3	0.340	81	0.262
263	0.150	82	0.113
1/3	0.150	86	0.862
169/2	0.971	108/1	0.443
230/2	0.445	147/2	0.104
133/1	0.105	213/1	0.327
132	0.049	214/2	0.243
720	0.093	216/2	0.038
788	0.223	3/1	1.348
824	0.328	4/1	0.511
43/1	0.171	136/1	0.242
70	0.660	220	0.105
198/4	0.619	224/2	0.320
42/3	0.607	226/1	0.935
237	0.121	232/1	0.471
238	0.081	233/1	0.112
239	0.028	234/1	0.097
336/1	0.121	235/1	0.400
206/2	0.254	235/6	0.121
518/2	0.089	236	0.146
540/2	0.162	298/2	0.044
351/2	0.487	222/1	0.294
352/2	0.105	769/1	0.826
434/5	0.223	225/2	0.089
716/2	0.081	682	0.105
108/3	0.148	725/2	0.446
147/1	0.100	737	0.008
214/1	0.178	738	0.085
216/1	0.039	742	0.190
502/5	0.081	761	0.186
503/3	0.214	784	0.053
336/39	0.590	828	0.413
222/2	0.294	8/1002/2	0.898
805/2	0.202	9/2	0.424
813/4	0.251	10/2	0.170
885/10	0.040	127/2	0.263
794	0.113	136/5	0.219
798/1	0.397	224/5	0.263
563/2	0.036	229/3	0.523
564/2	0.125	233/5	0.048
660	0.012	225/4	0.125
661	0.028	298/1	0.045

(1)	(2)	(1)	(2)
769/2	0.602	511/1	0.056
648/3	0.162	26	1.076
665/2	0.087	320/2	0.154
669/2	0.032	320/4	0.032
676	0.158	619	0.202
336/5 क	0.246	620	0.069
370/1	0.102	621	0.008
376/1	0.243	754	0.320
380/1	0.191	804	0.202
752/2	0.349	1004/2	0.425
753/3	0.178	1004/1	1.777
752/1	0.125	821/3	0.502
336/12 ख	0.142	404	0.138
336/16	0.559	406	0.069
336/3	0.178	419	0.466
336/2 क	0.263	430	0.603
366/2 ख	0.162	643	0.158
798/3	0.615	645	0.328
336/17	0.526	655	0.162
336/29	0.454	656	0.247
384/8	0.809	657	0.081
873/9	0.384	658	0.008
873/12	0.668	662	0.008
336/30	0.121	880	0.429
885/8	0.575	436	0.522
336/5	0.138	743	0.012
454/3	0.050	747	0.004
384/4	0.129	748	0.081
455/3	0.141	749	0.089
684	0.312	750/1	0.219
456/3	0.089	751	0.113
685	0.032	750/2	0.040
686	0.065	752/3	0.069
706/2	0.186	753/1	0.179
712	0.384	384/7	1.254
713/4	0.367	718/1	0.062
706/1	0.202	54	0.348
648/1	0.472	426	0.255
289/2	0.077	431	0.352
340/1	0.178	633	0.081
347/1	0.156	634	0.020
348/1	0.261	637	0.121
358/1	0.022	638	0.142
360	0.445	420	0.259
361/1	0.241	530	0.040
591	0.125	531	0.081
349/10	0.065	532	0.186

(1)	(2)	(1)	(2)
300/4	0.015	602/5	0.097
418/4	0.016	604/4	0.054
440/3	0.156	605/3	0.113
322/4	0.110	597/1	0.030
323/6	0.331	606/2	0.020
405/2	0.085	300/1	0.030
408/2	0.110	322/1	0.210
551/3	0.085	323/2	0.186
713/6	0.267	323/5	0.142
838/2	0.263	353	0.259
841/3	0.168	354	0.405
875/4	0.223	440/2	0.380
878/3	0.397	520/2	0.142
879/4	0.309	551/1	0.304
390	0.170	561/2	0.041
391/2	0.219	713/2	0.536
428/2	0.283	876	0.028
476	0.995	877	0.093
483/3	0.324	878/1	0.324
556/2	0.045	879/1	0.174
563/2	0.002	879/3	0.340
759	0.433	417/2	0.380
802/4	0.251	418/1	0.465
977	0.117	875/2	0.243
300/2	0.029	276	0.057
322/3	0.198	277	0.053
323/1	0.352	279	0.498
323/4	0.334	280	0.206
368	0.384	336/8	0.129
369	0.474	367	0.267
417/1	0.996	384/3	0.227
418/2	0.312	507	0.069
544	0.158	608	0.134
554	0.065	628	0.081
555	0.004	629	0.028
560/2	0.016	269	1.189
561/1	0.004	8/1002/1	0.899
562/2	0.016	9/1	0.425
873/8	1.113	10/1	0.170
61/2	0.143	127/1	0.263
648/5	0.458	135	0.219
610	0.182	136/4	0.457
383/2	0.210	140	0.283
593	0.421	224/1	0.263
336/2 ग	0.263	225/1	0.126
401/1	0.122	229/1	0.523
402/1	0.189	233/2	0.048

(1)	(2)
320/7	0.283
611	0.053
612	0.004
323/3	0.331
303/4	0.015
418/3	0.097
440/1	0.156
551/2	0.085
713/1	0.268
838/1	0.263
841/1	0.168
878/2	0.396
879/2	0.310
322/2	0.112
405/1	0.085
408/1	0.109
282	0.214
286	0.049
289/1	0.121
305	0.109
407	0.170
433	0.170
452	0.279
453	0.117
462	0.494
500	0.368
501	0.150
517	0.312
542	0.109
543	0.150
622	0.081
623	0.024
624	0.053
479	0.874
595	0.162
598/1	0.296
583	0.223
582	0.077
337	0.401
493	0.380
842	0.158
849	0.121
850	0.522
581	0.012
594	0.028
382/2	0.057
750/3	0.154

(1)	(2)
753/2	0.182
778	0.405
781	0.194
384/2	0.182
780	0.356
601/2	0.089
603/3	0.113
604/3	0.040
605/2	0.113
606/1	0.020
401/4	0.121
402/4	0.188
96/2	0.486
106	0.219
111/2	0.996
120	0.142
157	0.008
158	0.065
159	0.061
160	0.235
162/1	0.433
163	0.057
164	0.065
165	0.008
166	0.081
167	0.012
[illegible]	0.150
325	0.032
326/1	0.082
547/1	0.538
25	0.413
27	0.324
64	0.644
66	0.291
67	2.076
112	0.125
115	0.045
116	0.061
117	0.583
143	0.012
207	0.324
208	0.085
209	0.036
469	0.158
471	0.210
484/2	0.154

(1)	(2)	(1)	(2)
846	0.154	12	0.125
844	0.073	16	0.089
182/2	0.210	68	1.117
470	0.081	188	0.348
401/2	0.121	189	0.081
402/2	0.188	78	0.543
597/3	0.035	94	0.983
602/2	0.418	105	0.615
602/4	0.101	142	0.008
604/1	0.047	177	0.028
605/1	0.151	184	0.214
432	0.817	186	0.328
603/1	0.034	62/1	0.866
32	0.700	293	0.061
468	0.745	294/1	0.477
473	0.081	528	0.012
474	0.113	535/1	0.114
475	0.482	536/1	0.055
596	0.150	393	0.048
601/5	0.567	395	0.227
609	0.251	397	0.125
616	0.227	736	0.008
617	0.081	764	0.619
618	0.040	813/2	0.283
457	0.150	822/1	0.725
458	0.376	873/5	0.121
459	0.308	744	0.206
758	0.215	745	0.081
439	0.417	746	0.283
640/2	0.073	791	0.567
642	0.320	6	0.352
422/2	0.303	22	0.158
141	0.454	23	0.304
249	0.109	31	1.011
253	0.101	37	0.537
254	0.077	72	0.870
255	0.016	89	0.239
256	0.397	90	1.173
271	1.015	91	0.061
273	0.567	92	0.194
793	0.089	93	0.324
795	0.263	183	0.510
796	0.380	210	0.085
799	0.154	211	0.587
144	0.182	212	0.458
11	0.845	215	0.036

(1)	(2)	(1)	(2)
218	0.129	59	0.198
312	0.032	162/2	0.484
332	0.405	169/3	0.769
334	1.323	170/1	0.338
28/2	0.687	171/1	0.667
75	0.368	173/1	0.041
87	0.384	303/1	0.028
100/2	1.547	494/1	0.405
101	0.963	549/3	0.567
109/2	0.166	806/1	0.801
99/2	0.405	807/2	0.081
110/1	0.259	807/1001/3	0.312
118/2	0.271	808/2	0.405
119	0.275	810/2	0.781
126/2	0.234	811	0.045
128	0.405	843	0.227
129	0.032	847	0.551
137	0.785	96/1	0.972
174	0.012	848	0.231
175	0.081	443	0.028
178/2	0.368	425/2	0.283
179/2	0.179	873/35	2.072
180/2	0.417	28/1	0.774
181/2	0.283	98	0.101
313	0.032	100/1	1.690
88	0.132	104	0.660
257	0.065	109/1	0.312
258	0.429	110/2	0.926
259	0.028	118/1	0.276
260	0.036	126/1	0.458
261	0.077	176	0.057
262	0.146	178/1	0.324
266/1	0.538	179/1	0.218
267	0.251	180/1	0.360
268/1	0.228	181/1	0.486
275/1	0.223	776	0.462
445	0.069	777	0.049
437	0.773	99/1	0.659
441	0.656	318	1.056
631	0.085	387	0.113
632	0.097	388	0.445
641	0.085	389	0.765
644	0.085	472	0.125
659	0.012	477	0.409
825	0.486	478	0.162
58	0.356	565	0.069

(1)	(2)	(1)	(2)
566	0.186	13/1	0.417
567	0.077	73/1	0.296
569	0.004	74/1	0.405
570	0.020	130	0.121
755	0.344	131	0.543
435/2	0.202	151/1	0.160
762/2	0.405	185	0.065
763	0.263	187	0.510
833	0.113	190	0.206
836	0.595	191	0.081
401/3	0.122	192	0.008
402/3	0.188	308/5	1.440
597/2	0.060	53/1	0.640
602/2	0.302	815	0.510
603/2	0.135	817	0.388
604/2	0.047	819	0.429
604/5	0.047	266/2	0.215
605/4	0.145	268/2	0.201
606/3	0.041	13/2	1.048
607	0.045	14	0.134
34/2	0.445	15	0.599
62/2	0.206	73/2	0.295
294/2	0.224	74/3	0.465
527	0.081	77/3	0.352
535/2	0.096	145	0.109
536/2	0.045	151/2	0.160
422/1	0.304	152	0.247
423	0.202	153	0.219
424	0.049	155	0.085
635	0.024	156	0.040
636	0.081	169/6	0.889
639	0.142	17	0.454
640/1	0.073	18	0.081
831	0.368	308/4	0.668
24	1.542	304/10	0.081
148	0.930	308/6	0.987
149	0.097	330	0.146
150	0.085	331	0.534
371	0.833	343/1	0.098
372/2	0.259	349/6	0.048
524	0.081	364	0.129
525	0.012	512/2	0.073
526	0.299	71	0.425
538	0.198	83	0.514
265	0.376	84	0.433
427	0.717	85	0.684

(1)	(2)	(1)	(2)
97	0.474	534	0.271
169/8	0.765	546	0.113
170/2	0.405	336/9	0.324
171/2	0.559	336/14	0.602
173/2	0.040	336/15	0.316
182/3	0.789	336/34	0.709
172	0.081	61/1	0.144
264	0.117	133/2	0.286
303/2	0.041	320/21	0.809
319	0.376	521	0.012
494/2	0.129	522	0.081
537	0.934	523	0.028
549/2	2.139	722/1	0.124
550	0.235	735/1	0.125
806/2	0.429	320/17	0.930
807/1	0.243	38/6	0.170
1001/2	0.307	8/12	1.214
808/3	0.405	1/21	0.809
809	0.085	320/12	1.511
810/1	0.081	885/6	0.304
396	0.057	766	0.299
320/6	0.194	873/16	0.861
398	0.178	767	0.239
428/3	0.227	704	0.004
613	0.016	885/5	0.291
614	0.081	336/42	0.040
615	0.150	384/15	0.081
724	0.295	336/20	0.073
726	0.223	384/13	0.154
757	0.194	287/4	0.324
785	0.603	496/9	0.081
786	0.299	873/15	1.376
790	0.077	1/17	0.979
802/2	0.551	76	0.692
827	0.336	30	0.595
835	0.320	813/7	0.344
394	0.348	823/4	0.983
45	0.251	336/35	1.142
316	1.238	1/9	0.458
317	1.040	873/14	0.829
505	0.821	77/11	0.081
506	0.243	303/5	0.267
529	0.020	495	0.113
533	0.077	873/21	0.344

(1)	(2)	(1)	(2)
813/3	0.275	122	0.267
813/6	0.065	168	0.478
873/13	0.615	169/10	0.765
399/3	0.510	301	0.077
1/7	0.405	326/2	0.315
7/1	0.081	327	0.040
1/22	0.372	328	0.223
320/14	0.146	329	0.231
336/13	0.817	547/2	0.053
873/26	0.263	549/1	0.405
304/8	0.121	548	0.081
320/13	0.121	837	0.470
336/12 ग	0.375	336/3 ख	0.425
821/4	0.414	35/2	0.040
823/3	0.091	53/2	0.040
821/2	0.387	35/3	0.067
779/3	0.611	35/4	0.060
56/2	1.275	35/5	0.040
336/37	0.951	35/1	0.060
873/27	1.384	44	0.490
399/5	0.579	103	0.320
95	0.955	134/1	0.046
5	0.688	138/1	0.088
873/10	0.672	217/1	0.019
873/24	0.251	219/1	0.027
873/11	0.866	297/1	0.012
272	0.134	284/1	0.060
275/2	0.068	65/1	0.218
198/2	0.057	147/3	0.035
823/5	0.091	314/1	0.010
821/5	0.415	283/1	0.012
821/6	0.415	65/2	0.219
823/6	0.091	134/2	0.046
821/7	0.415	138/2	0.088
823/7	0.091	147/4	0.034
266/3	0.202	217/2	0.019
306/1	0.252	219/2	0.027
545/1	0.101	283/2	0.012
545/2	0.081	284/2	0.059
834	0.324	297/2	0.012
599	0.312	314/2	0.009
808/1	0.316	65/13	0.219
807/1001/1	0.275	134/3	0.046
96/3	0.485	138/3	0.087
107	0.154	147/5	0.035
111/1	0.096	217/3	0.019

(1)	(2)
219/3	0.027
283/3	0.012
284/3	0.059
297/3	0.012
314/3	0.009
123	0.069
124	0.518
299	0.057
336/14	0.405
336/34	0.709
336/48	1.169
373	0.073
374	0.134
377	0.089
349/4	0.073
351/1	0.524
540/1	0.065
885/2	0.024
336/9	0.324
336/10	0.283
336/11	1.449
336/41	0.283
446	0.304
447	0.093
454/4	0.190
455/1	0.210
456/1	0.159
352/1	0.461
485	0.089
553/3	0.113
557/1	0.134
558/1	0.049
559/1	0.134
454/2	0.030
455/2	0.100
456/1	0.072
352/3	0.062
43/2	0.171
43/3	0.171
43/4	0.277
43/5	0.278
43/6	0.041
343/3	0.129
349/10	0.049
363/2	0.081
365/1	0.129
482	0.065
343/4	0.068
345/1	0.227
349/11	0.049
585/1	0.016
586/1	0.004
365/6	0.042
343/5	0.089
345/4	0.227
349/12	0.048
365/4	0.124
320/5	0.113
288	0.312
340/2	0.178
347/2	0.156
348/2	0.261
349/11	0.064
358/2	0.023
361/2	0.241
497	0.162
511/2	0.057
575	0.081
576	0.081
578	0.012
589	0.004
590	0.049
399/14	0.100
77/14	0.204
665/3	1.100
336/4	0.200
921/11	1.016
336/15	0.400
336/53	0.700
योग 1281	333.764

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- परसा ईस्ट एवं केते बासेन कोयला उत्खनन परियोजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि. प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 16 जुलाई 2010

रा.प्र.क्र./35/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित कि जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-उदयपुर
- (ग) नगर/ग्राम-घाटबर्रा, प. ह. नं. 47
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-14.362 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
830	0.320
77/15	0.202
199/2	0.202
399/14	0.426
399/15	0.405
136/3	0.160
281/3	0.405
77/14	0.609
320/1011	0.486
136/2	0.160
252/2	0.089
845	0.356
375/1	0.300
874	0.040
875/1	0.340
133/3	0.143
665/3	0.120
336/4	1.087
875/5	0.222
770	0.049
774	0.089
775	0.081
921/11	1.007
921/13	0.267
213/3	0.113
768	0.089
648/6	0.162
336/41	0.283
336/33	0.267
446	0.304
447	0.093
320/1012	0.475
399/16	0.332
399/8	0.494
819/2	0.040
815/2	0.040
336/44	0.938
336/15	0.538
336/33	0.481
336/52	0.073
336/53	0.469
336/54	0.283
336/55	0.481
486/2	0.283
861/2	0.150
425/1	0.409
योग 46	14.362

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- परसा ईस्ट एवं केते बासेन कोयला उत्खनन परियोजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि. प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 16 जुलाई 2010

रा.प्र.क्र./36/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-उदयपुर
- (ग) नगर/ग्राम-साल्ही, प. ह. नं. 47
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.410 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
755/9	0.058
755/8	0.057
755/7	0.485
687/6	0.210
726/7	0.105
685/1	0.040
687/5	0.097
726/15	0.105
685/2	0.040
687/8	0.097
726/16	0.105
685/3	0.040
687/9	0.097
726/17	0.106
685/4	0.040
687/10	0.097
687/7	0.283
726/1	0.202
726/10	0.202
726/14	0.305
686	0.315
755/10	0.257
755/11	0.248
755/6	0.410
755/5	0.409
योग 25	4.410

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- परसा ईस्ट एवं केते बासेन कोयला उत्खनन परियोजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि. प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 16 जुलाई 2010

रा.प्र.क्र./37/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-उदयपुर
- (ग) नगर/ग्राम-केते, प. ह. नं. 47
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.774 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
553/602/1	0.146
553/599	0.081
553/600	0.313
553/601	0.120
291/1	0.009
51/3	0.114
572/597/2	0.065
51/6	0.065
584/3	0.034
572/597/3	0.064
556/598	0.153
572/597/1	0.065
536/2	0.129
536/3	0.129
534	0.142
535	0.100
128/1	0.117
531/5	0.126
215/5	0.121
218/22	0.344
1/12	0.315
553/602/2	0.145
215/7	0.150
215/4	0.149
215/6	0.193
1/14	0.255
536/1	0.130
योग 27	3.774

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- परसा ईस्ट एवं केते बासेन कोयला उत्खनन परियोजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि. प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 30 जुलाई 2010

अहिवारा निवेश क्षेत्र के भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के प्रकाशन की सूचना

क्रमांक/3335.—विकास योजना अहिवारा 2010 दुर्ग एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि अहिवारा निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गए हैं और उसकी एक-एक प्रति उप तहसील कार्यालय अहिवारा, प्रदर्शनी स्थल कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत अहिवारा एवं कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय दुर्ग में दिनांक 6 अगस्त 2010 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं. अहिवारा निवेश क्षेत्र की सीमा निम्न अनुसूची में अंकित हैं :—

अनुसूची

अहिवारा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में :—	ग्राम पोटिया, देउरझाल, पिटोरा एवं खासाडीह ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में :—	ग्राम खासाडीह, सन्डी एवं हिंगनाडीह ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में :—	ग्राम हिंगनाडीह, अहिवारा एवं बानबरद ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में :—	ग्राम बानबरद एवं पोटिया ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गए भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर तथा इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्रों के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा विचार किया जाएगा.

Durg, the 30th July 2010

Notice of publication of existing land use map of Ahiwara Planning Area

No. 3335.—Development Plan Ahiwara 2010 Durg. Notice is hereby given that existing land use map for Ahiwara Planning Area has been prepared under sub-section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy thereof is available for inspection from 6th August 2010 during office hours in the office of the C.M.O. Nagar Panchayat Ahiwara, Nayab Tahsildar Ahiwara and Joint Director Nagar Tatha Gram Nivesh, Distt. Office Durg. The limit of the Ahiwara planning area is defined in the schedule given below :—

SCHEDULE

Limits of Ahiwara Planning Area

North :—	Village Potiya, Deorjhal, Pitora and Khasadih upto north boundary.
East :—	Village Khasadih, Sandi and Hingnadih upto east boundary.
South :—	Village Hignadih, Ahiwara and Banbarad upto south boundary.
West :—	Village Banbarad and Potiya upto west boundary.

"If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared, it should be sent in writing to the Director, Town and Country Planning, Raipur Chhattisgarh within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the "Chhattisgarh Gazette".

Any objecton or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the period specified above will be considered by the Director, Nagar Tatha Gram Nivesh, Raipur Chhattisgarh.

एम. के. गुप्ता,
संयुक्त संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 23rd July 2010

No. 268/L.G./2010/II-2-15/2002.—Shri A. K. Panda, District & Sessions Judge, Durg is hereby, granted earned leave for five days from 16-08-2010 to 20-08-2010 and permission to prefix holidays of 14th to 15th August 2010 (2nd Saturday & Sunday) and suffix holidays of 21st to 22nd August 2010 (3rd Saturday & Sunday) along with permission to remain out of headquarters from the morning of 14-08-2010 till the night of 22-08-2010.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Panda, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 192 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
BALINDAR SINGH SALUJA, Additional Registrar.